30/1/26	पत्रावली पेश हुई। दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर शामिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बौंली (राज०)

विक्री मुकदमा इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

दरम्यान

मस्जिद पंच सिवालीयान मस्जिद वक्फ बोर्ड वाके हिण्डौन दरवाजा बाहर कस्बा करौली जरिये प्रबन्धकगण जनाब हाजी मुजफ्फर अहमद पुत्र हाजी बाबू भाई सदर, अब्दुल हलीम पुत्र अब्दुल सलीम सचिव व [illegible] पुत्र [illegible] कौम मुसलमान निवासीयान करौली तह व जिला करौली (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. गोविन्दपाल पुत्र [illegible] आयु 56 साल जाति राजपूत निवासी करौली
2. अरविन्दपाल पुत्र [illegible] पाल जाति राजपूत निवासी करौली
3. बहादुर सिंह पुत्र बन्दर सिंह आयु 62 साल जाति राजपूत निवासी कोटा छावर हाल आबाद करौली
4. भागवत प्रसाद पुत्र किशोरदास जाति महाजन निवासी वजीरपुर दरवाजे बाहर करौली
5. रामसिंह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी हिण्डौन दरवाजा करौली
6. मु0 कमला स्त्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी हिण्डौन दरवाजा चौधरी पाड़ा करौली जिला करौली
7. रामजीलाल पुत्र चिरंजीलाल सारस्वत जाति ब्राह्मण निवासी करौली
8. कन्हैया सिंह पुत्र प्रभुलाल जाति ब्राह्मण निवासी भूरखेड़ा हाल आबाद करौली
9. हरेलाल वैश्य (फौत)

9/1 जगन्नाथ पुत्र हरेलाल फौत
9/1/1 राधा मोहन
9/1/2 सुशीला
9/1/3 गुड़िया
9/1/4 लीलावती
9/1/5 चन्दा देवी पत्नि अशोक कुमार
9/1/6 अंकुर पुत्र अशोक कुमार
9/1/7 हिमांशु उर्फ गोलू पुत्र अशोक कुमार
9/1/8 अर्जुन उर्फ हैपी पुत्र अशोक कुमार
9/1/9 मधु पत्नि विष्णु
9/1/10 मुनमुन पुत्र विष्णु

(9/1/1 से 9/1/6: पुत्र पुत्रीयान जगन्नाथ)

सभी जाति महाजन निवासी चौधरी पाड़ा करौली
9/2 मुसम्मात किरपुरी बेवा हरेलाल
9/3 अशर्फी देवी बेवा बद्री प्रसाद पुत्री हरेलाल जाति महाजन निवासी फाटक पाड़ा नीम के बाजार के पास हिण्डौन सिटी
9/4 सावित्री देवी स्त्री कृष्ण गोपाल सिंघल पुत्री हरेलाल जाति महाजन निवासी 25 डी एन्डीनगर कॉलोनी भरतपुर
9/5 मु0 कमला पुत्री हरेलाल स्त्री वर्द्धमान सिंघल ठेकेदार निवासी पुराना बस स्टैण्ड धौलपुर

10. रामजीलाल नाजिर पुत्र नामालूम जाति ब्राह्मण निवासी खटीकना करौली
11. श्याम सुन्दर भारद्वाज पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी खटीकना करौली
12. विशम्भर पुत्र भैरोलाल महाजन निवासी मण्डरायल हाल निवासी करौली
13. रतन पुत्र भैरोलाल महाजन निवासी मण्डरायल हाल निवासी करौली
14. मु0 दुर्गा देवी उर्फ बैनपुरी स्त्री नारायण

14 अ निर्मल कुमार पुत्र हरिचरण महाजन निवासी वजीरपुर गेट बाहर करौली
14 ब गौरवसिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपूत निवासी कोटा छावर हाल निवासी करौली
14 स उर्मिला देवी पुत्र कालीचरण जाति वैश्य निवासी बैनपुर
14 द विमला देवी स्त्री मूलचन्द जाति वैश्य निवासी बैनपुर हाल निवासी करौली

15. हनुमान दलाल पुत्र नारायण महाजन निवासी चौधरीपाड़ा (फौत)
16. नथुआ पुत्र मूला जाति माली निवासी चौधरी पाड़ा करौली

16/1 धर्मी पुत्र नथुआ जाति माली निवासी चौधरी पाड़ा करौली

17. कल्याण पुत्र दुल्ला जाति महाजन निवासी करौली

17/1 जगमोहन
17/2 ओमप्रकाश
17/3 जगदीश प्रसाद
17/4 राजेन्द्र प्रसाद
17/5 गोविन्द प्रसाद
17/6 विशम्भर प्रसाद
17/7 बसन्ती बेवा कल्याण

18. कल्याण पुत्र देवीचन्द माली निवासी करौली
19. धीरया पुत्र विशना माली निवासी करौली
20. मनोहर लाल पुत्र मिश्रया महाजन निवासी करौली (फौत)

20/1/1 कटोरी देवी पत्नी मनोहरलाल
20/1/2 दिनेश
20/1/3 मनोज
20/1/4 दीपक
20/1/5 मिथलेश
20/1/6 लक्ष्मी
पुत्र पुत्रीयां मनोहरलाल जाति महाजन निवासी करौली

21. कटोरी देवी मनोहरलाल महाजन निवासी करौली
22. रामो पुत्र मोतीलाल जाति महाजन निवासी करौली
23. ओमप्रकाश पुत्र नामालूम जाति महाजन [illegible] निवासी हिण्डौन [illegible]
24. [illegible] पुत्र [illegible] ब्राह्मण फौत

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

24/1 रामभरोसी पत्नि निर्मल प्रसाद पुत्री मौकलाल ब्राहमण निवासी करौली
24/2 नीलेश पत्नि निर्मल प्रसाद पुत्री मौकलाल ब्राहमण निवासी करौली
24/3 गायत्री देवी पत्नि सुनील कुमार पुत्री मौकलाल ब्राहमण निवासी करौली
25. गोविन्द पुत्र रामचरण महाजन निवासी सपोटरा
26. छम्मन पुत्र अल्लाबख्श उर्फ खुदाबख्श कौम मुसलमान निवासी हिण्डौन गेट करौली
27. जफरू पुत्र शमसुद्दीन जाति मुसलमान हिण्डौन दरवाजा करौली
28. भौलू पुत्र शमसुद्दीन उर्फ सम्मा जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन गेट करौली
29. मुस्सा बहुरण बेग कुल्लड जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन दरवाजा करौली फौत
29/1/1 शहनाज बानो
29/1/2 जीनत बानो
29/1/3 सलमा
29/1/4 शहबुद्दीन
30. तहसीलदार, तहसील करौली

(29/1/1 – 29/1/4:) पुत्र पुत्रीयान मुस्सा खां जातियान मुसलमान निवासीयान हिण्डौन दरवाजा बाहर करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्ताकरार हक एवं बेदखली

मु0नं0–321/02 तारीख रजु–24.06.2002

उनवान

मस्जिद मय विसातीयान पब्लिक वक्फ बोर्ड वाके हिण्डौन दरवाजा बाहर कस्बा करौली जरिये श्री लाल टेलर पुत्र जहूर बेग जाति मुसलमान निवासी खोलीबार करौली सेक्रेटरी प्रबंध कमेटी मस्जिद मजकूर

–वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र मोतीलाल आयु 40 साल जाति महाजन निवासी करौली
2. तहसीलदार, तहसील, करौली

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा इनदी आल्टरनेटिव बाबत दखल जेर दफा 88, 188, 183 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 117/02

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कताई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री रामजीलाल अग्रवाल, एडवोकेट मिनजानिब रूबरू श्री दिनेश बंसल, एडवोकेट, श्री श्याम प्रकाश गर्ग, एडवोकेट, श्री नेमीचंद एडवोकेट, श्री महेश चंद गुप्ता, एडवोकेट, श्री सुन्दर, एडवोकेट, श्री अशफाक अहमद, एडवोकेट मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण बर प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज .... मुबलिग .... बाबत .... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निस्फ .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बरसख मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनाक 29/1/26 को सन् 2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
करौली
उपखण्ड अधिकारी करौली (राज.)

	रुपया	पैसे	मुद्दायलह	रुपया	पैसे
...म्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
...म्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
...म्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
...ताना वकील			खर्चा गवाहान		
...र्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
...स कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
...त इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
...फरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Mee
Date: 2026.05.04 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली

...–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो ... नहीं दर्ज करना होगे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी करौली

मु0न0:–117/02 तारीख रजु:–17.06.2002

उनवान

मस्जिद पंच विसातीयान पब्लिक वक्फ बोर्ड वाके हिण्डौन दरवाजा बाहर कस्बा करौली जरिये प्रबन्धकगण जनबा हाजी रूखसार अहमद पुत्र हाजी बाबू भाई सदर, अब्दुल हलीम पुत्र अब्दुल रहीम सचिव व अस्पाक अहमद बल्द गुलाम रसूल कोशियर कौम मुसलमान निवासीयान करौली तह व जिला करौली (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. मेघेन्द्रपाल पुत्र उमरावपाल आयु 56 साल जाति राजपूत निवासी करौली
2. अरविन्दपाल पुत्र मेघेन्द्र पाल जाति राजपूत निवासी करौली
3. बहादुर सिंह पुत्र चन्दर सिंह आयु 52 साल जाति राजपूत निवासी कोटा छावर हाल आबाद करौली
4. भागवत प्रसाद पुत्र किशोरराम जाति महाजन निवासी वजीरपुर दरवाजे बाहर करौली
5. रामसिंह पुत्र शंकर सिंह जाति राजपूत निवासी हिण्डौन दरवाजा करौली
6. मुसा0 कमला स्त्री रामसिंह जाति राजपूत निवासी हिण्डौन दरवाजा चौधरी पाडा करौली जिला करौली
7. रामजीलाल पुत्र चिंरजीलाल सारस्वत जाति ब्राह्मण निवासी करौली
8. कन्हैया सिंह पुत्र प्रभुलाल जाति ब्राहमण निवासी भूरखेडा हाल आबाद करौली
9. हरेतलाल वैध (फौत)

9/1 जगन्नाथ पुत्र हरेतलाल फौत

9/1/1 राधा मोहन
9/1/2 सुशीला
9/1/3 गुडिया
9/1/4 लीलावती
} पुत्र पुत्रीयान जगन्नाथ

9/1/5 चन्दा देवी पत्नि अशोक कुमार

9/1/6 अंकुर पुत्र अशोक कुमार

9/1/7 हिमांशु उर्फ गोलू पुत्र अशोक कुमार

9/1/8 अर्जन उर्फ हेपी पुत्र अशोक कुमार

9/1/9 मधु पत्नि विष्णु

9/1/10 मुनमुन पुत्र विष्णु

सभी जाति महाजन निवासी चौधरी पाडा करौली

9/2 मुसा0 किस्तुरी बेवा हरेतलाल

9/3 अशर्फी देवी बेवा बद्री प्रसाद पुत्री हरेतलाल जाति महाजन निवासी पाठक पाडा नीम के बाजार के पास हिण्डौन सिटी

9/4 सावित्री देवी स्त्री कृष्ण गोपाल मित्तल पुत्री हरेतलाल जाति महाजन निवासी 25 डी ऐन्डीनगर कॉलोनी भरतपुर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

9/5 मुस0 कमला पुत्री हरेतलाल स्त्री चन्द्रभान मित्तल ठेकेदार निवासी पुराना बस स्टैण्ड धौलपुर

10. रामजीलाल नाजिर पुत्र नामालूम जाति ब्राहमण निवासी चटीकना करौली
11. श्याम सुन्दर भारद्वाज पुत्र रामप्रसाद जाति ब्राहमण निवासी चटीकना करौली
12. विशम्भर पुत्र भैरोलाल महाजन निवासी मण्डरायल हाल निवासी करौली
13. रतन पुत्र भैरोलाल महाजन निवासी मण्डरायल हाल निवासी करौली
14. मुस0 दुर्गा देवी उर्फ चैनपुरी स्त्री नारायण

14 अ निर्मल कुमार पुत्र हरिचरण महाजन निवासी वजीरपुर गेट बाहर करौली

14 ब भौरूसिंह पुत्र बहादुर सिंह राजपूत निवासी कोटा छावर हाल निवासी करौली

14 स उर्मिला देवी पुत्र कालीचरण जाति वैश्य निवासी चैनपुर

14 द विमला देवी स्त्री मूलचन्द जाति वैश्य निवासी चैनपुर हाल निवासी करौली

15. हनुमान दत्तक पुत्र नारायण महाजन निवासी चौधरीपाडा (फौत)
16. नथुआ पुत्र मूला जाति माली निवासी चौधरी पाडा करौली

16/1 धर्मी पुत्र नथुआ जाति माली निवासी चौधरी पाडा करौली

17. कल्याण पुत्र दुल्ला जाति महाजन निवासी करौली

17/1 जगमोहन

17/2 ओमप्रकाश

17/3 जगदीश प्रसाद

17/4 राजेन्द्र प्रसाद

17/5 गोविन्द प्रसाद

17/6 विशम्भर प्रसाद

17/7 बसन्ती बेवा कल्याण

18. कल्याण पुत्र देवीचन्द माली निवासी करौली
19. घीस्या पुत्र विशना माली निवासी करौली
20. मनोहर लाल पुत्र मिश्रया महाजन निवासी करौली (फौत)

20/1/1 कटोरी देवी पत्नी मनोहरलाल

20/1/2 दिनेश

20/1/3 मनोज

20/1/4 दीपक

20/1/5 मिथलेश

20/1/6 लक्ष्मी

पुत्र पुत्रीयां मनोहरलाल जाति महाजन निवासी करौली

21. कटोरी देवी मनोहरलाल महाजन निवासी करौली
22. राधे पुत्र मोतीलाल जाति महाजन निवावी करौली
23. ओमप्रकाश पुत्र नामालूम जाति महाजन बयाना वाले निवासी हिण्डौन दरवाजा करौली
24. भैरूलाल पुत्र शिवलाल ब्राहमण फौत

24/1 रामभरोसी पत्नि गिर्राज प्रसाद पुत्री भौरूलाल ब्राहमण निवासी करौली

24/2 गीतेश पत्नि गिर्राज प्रसाद पुत्री भौरूलाल ब्राहमण निवासी करौली

24/3 गायत्री देवी पत्नि सुनील कुमार पुत्री भौरूलाल ब्राहमण निवासी करौली

25. गोविन्द पुत्र रामचरण महाजन निवासी सपोटरा
26. घम्मल पुत्र अलाबक्श उर्फ खुदाबख्श कौम मुसलमान निवासी हिण्डौन गेट करौली
27. जाफरू पुत्र शमसुद्विनी जाति मुसलमान हिण्डौन दरवाजा करौली
28. भौलू पुत्र शमसुद्विनी उर्फ सम्मा जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन गेट करौली
29. मुस0 बहुरन बेवा कुल्लड जाति मुसलमान निवासी हिण्डौन दरवाजा करौली फौत

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.04 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

29/1/1 शहनाज बानो
29/1/2 जीनत बानो
29/1/3 सलमा
29/1/4 शहबुद्दीन

पुत्र पुत्रीयां गुन्ना खां
जातियान मुसलमान
निवासीयान हिण्डौन दरवाजा बाहर करौली

30. तहसीलदार, तहसील करौली

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत इस्तकरार हक एवं बेदखली

मु0न0:—321/02 तारीख रजु:—24.06.2002

उनवान

मस्जिद पंच विसातीयान पब्लिक वक्फ बोर्ड वाके हिण्डौन दरवाजा बाहर कस्बा करौली जरिये श्री लाल टेलर पुत्र जहूर बेग जाति मुसलमान निवासी ढोलीखार करौली सेक्रेटी प्रबंध कमेटी मस्जिद मजकूर

—वादी

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र मोतीलाल आयु 40 साल जाति महाजन निवासी करौली
2. तहसीलदार, तहसील, करौली

—प्रतिवादीगण

वाद बाबत इस्तकरार हक एवं स्थाई निषेधाज्ञा इनदी आल्टरनेटिव बाबत दखल जेर दफा 88, 188, 183 आर टी एक्ट

—::निर्णय::— दिनांक :— 31/1/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा करौली में हिण्डौन दरवाजे बाहर मस्जिद पंच विसायतियान [illegible] स्थित है। सैकडों वर्ष पूर्व इसके पडोस [illegible] सरकारी के सहारे दो बीघा 15 विस्वा का[illegible] [illegible] को करौली रियासत के जमाने में तत्कालीन राज्य सरकार की [illegible] से माफी में दी गई थी जिसका साबिक बन्दोबस्ता खसरा नं0 3892 हैं। उपरोक्त भूमि के मौजूदा सेटलमेंट सं0 2015 में खसरा नं0 4970 रकबा 2 बीघा 10 विस्वा बारानी अलिफ खसरा नं0 4970 रकबा 3

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.04 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

पीठासीन अधिकारी
करौली (राज0)

बिस्वा गैर मुमकिन आबादी ख0न0 4968 में मुमकिन वाह 1 बिस्वा ख0 न0 4969 मजार बारह ख0न0 1 बिस्वा बन गया। माफी में उक्त भूमि मिलने के बाद से ही खसरा नं0 4967 में खाम मकानियत उक्त मस्जिद की ममलूका मकबूजा बन गई जो अब खण्डर के रू. में है। खसरा नं0 4968 में एक किता वाह ख0न0 4969 में मजार तभी के मस्जिद के बने हुए है। बाकी खसरा नं0 4970 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा दौरान माफी मस्जिद को खुदकाश्ता में तथा 1963 में माफी जब्त होने के पश्चात उक्त मस्जिद की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है अन्य किसी का किसी प्रकार का अधिकार नही है। उपरोक्त कुल काश्ता भूमि 2 बीघा 10 बिस्वा न0 4970 पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों के अनुसार एक मात्र हकूक खातेदारी व कब्जा काश्त उक्त मस्जिद पंच बिसायतीयान को प्राप्त हैं और पब्लिक वक्फ सम्पत्ति है अन्य किसी के किसी प्रकार के हकूक नही है। प्रतिवादीगण नं0 26, 27, 28 धम्बल जफरू एवं भोलू एवं प्रतिवादी नं0 29 के प्रति कुल्लख कौम से बिसायतीयान मुसलमान है और मस्जिद के प्रबन्ध में इनका हाथ रहा था उन्होंने मौजूदा सेटलमेंट सं0 2015 में बदोबस्त विभाग के कर्मचारियों से साज करके अपना नाम ''कृषक' गलत दर्ज करा कर परचा बदोबंस्त प्राप्त कर लिया जिसके फलस्वरूप कागजात पटवारी में इनके नाम खातेदारी के गलत दर्ज हो गये जो काबिल दुरूस्ती है। मौजूदा सेटलमेंट के कई वर्षो बाद उक्त खसरा नं0 4970 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा की भूमि को कागजात पटवार में वादी से छिपाकर गैर कानूनी तरीके से पांच खसरा नम्बर में 4970/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा व ख0 न0 4970/2 रकबा एक बिस्वा ख0 न0 4970/3 रकबा एक बिसवा, ख0न0 4970/4 [illegible] खसरा नं0 4970/5 रकबा 2 बिस्वा बांट दिया है जो काबिल [illegible] है। उक्त खसरा नं0 4970 में से रकबा एक बीघा [illegible] बिस्वा काश्ता भूमि को प्रतिवादी धम्बल से मिलके प्रतिवादीगण मेघेन्द्र [illegible] अरविन्दपाल बहादुरसिंह, भगवत प्रसाद ने गैर कानूनी एवं वोइड मुन्ताकिली द्वारा पक्ष में अवैध नामान्तकरण करा लिया है इसे कागजात पटवार में नम्बर 4970/1 का भाग 43/90 अंकित करा रखा है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

संलग्न नक्शे वादपत्र में वरंग बैंगनी मार्क ''एच'' से अंकित किया है इस भूमि पर ये प्रतिवादीगण कब्जा काश्त वादी में बाधा डालते है इसलिये पाबन्द होने योग्य है तथा अदालत द्वारा इनका कब्जा साबित मानने की अवस्था में इस भूमि में उनका अनाधिकार कब्जा है और काबिल बेदखली है। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में उक्त खसरा नं0 4970 की काश्ता भूमि में से वरंग पीली मार्क ''एफ'' भूमि पर प्रतिवादी धम्बल से मिलके प्रतिवादीगण कन्हैयासिंह व नं0 7 रामजीलाल ने खाम पाटोर डालके अनाधिकार कब्जा कर रखा है और काबिले बेदखली है। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में खसरा नं0 4970 की काश्ता भूमि में से वरंग भूरा मार्क ''जी'' भूमि पर प्रतिवादी धम्बल से मिलके गैर कानूनी एवं वोइड मुन्तकली द्वारा प्रतिवादीगण 05 रामसिंह एवं नं0 6 उसकी स्त्री ने अनाधिकार कब्जा कर रखा है और काबिल बेदखली है। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में काश्ता भूमि खसरा नं0 4970 में से वरंग काला मार्क ''डी'' पर प्रतिवादी धम्बल से मिलके प्रतिवादीगण नं0 20 मनोहरलाल कटोरी देवी एवं प्रतिवादीगण नं0 22 राधे व प्रतिवादी नं0 23 ओमप्रकाश ने अनाधिकार कब्जा कर रखा है इसलिये उक्त निर्माण को हटवाया जाकर ये काबिल बेदखली है। खसरा नं0 4970 की काश्ता भूमि में से वादपत्र के साथ संलंग्न नक्शे में वरंग नीला मार्क ''सी'' काश्ता भूमि पर प्रतिवादीगण नं0 26 धम्बल व प्रतिवादी नं0 17 कल्याण महाजन एवं नं0 18 कल्याण नं0 19 चौस्या मालीयान ने अनाधिकार कब्जा कर रखा है औश्र खाम पाटोर डाल रखी है जिन्हें हटवाया जाकर काविल बेदखली है। उक्त खसरा नं0 4970 की काश्ता भूमि में से वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में वरंग लाल मार्क ''ई'' काश्ता भूमि पर प्रतिवादी धम्बल से मिलके गैरकानूनी एवं वोइड मुन्तकिली द्वारा प्रतिवादी भौरूलाल ने अपने पक्ष मे अवैध [illegible] करा लिया है जो काविल दुरूस्ती है तथा अवैध निर्माण करके अनाधकार कब्जा कर लिया है इसलिये अवैध निर्माण हटाया जाकर काविल बेदखली है। कागजात पटवार में इस भूमि को खसरा नं0 4970/4 रकवा एक क विस्वा अंकित कर रखा है। उक्त खसरा न0 4970 की काश्ता भूमि में से वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा में वरंग

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नारंजा मार्क "वी" काश्ता भूमि पर प्रतियादी धम्बल में मिलकर प्रतिवादी दुर्गा के पति मृतक श्री नारायण ने गैर कानूनी एवं वोइड मुन्तकिली द्वारा अपने पक्ष में अवैध नामान्तकरण करा लिया एवं छप्पर इत्यादि हाल के प्रतिवादीगण नं0 14 दुर्गा देवी प्रतिवादीगण 14अ निर्मल कुमार, नं0 14 व भौरूसिंह, नं0 14 से उर्मिला देवी व नं0 14 द विमला देवी नं0 15 15 हनुमान नं0 16 नथुआ ने अनाधिकार कब्जा कर रखा है उक्त अनाधिकार कब्जा कर रखा है भूमि को कागजात पटवार में 4970/3 रकवा एक विस्वा अंकित करा रखा है। उक्त खसरा नं0 4970 की काश्ता भूमि में से वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में वरंग हरा मार्क "क" काश्त भूमि पर प्रतिवादीगण धम्बल से मिलके प्रतिवादी हरहेतलाल ने गैश्र कानूनी एवं वोइड मुन्तकिली द्वारा अपने पक्ष में अवैध नामान्तकरण करा लिया है जो काविल दुरूस्ती है तथा इस भूमि पर अनाधिकार निर्माण करा लिया है जो काविल दुरूस्ती है तथा इस भूमि पर अनाधिकार निर्माण करा लिया है जो काविल हटाये जाने के है तथा इस भूमि पर प्रतिवादी गण नं0 9 हरहेतलाल नं0 10 रामलीलाल नाजिर नं0 11 श्याम सुन्दर भारद्वाज, नं0 12 विशम्बर नं0 13 रतन अनाधिकार काविज है इसलिये अवैध निर्माण हटाया जाकर काविल बेदखली है इस भूमि को कागजात पटवार में खसरा नं0 49670/2 रकवा एक विसवा एवं खसरा नं0 49670/5 रकवा 2 विस्वा अंकित कर रखा है। जो काविज दुरूस्ती है। वादपत्र की मद नं0 6 में वर्णित काश्ता भूमि में अतिरिक्त खसरा नं0 4970 की बची हुई काश्ता भूमि रकवा एक वीघा दाई विस्वा पर प्रतिवादीगण नं0 27 जफरू नं0 28 भोलू, नं0 29 जहूरन से मिलकर गैर कानूनी एवं वोइड मुन्तकली द्वारा कयूम खां ने स्वयं एवं अपने नावालिग लडके व अब्दुल करीम ने अपने नाबालिग लडके के पक्ष में अवैध नामान्तकरण करा लिया है और वादी के कब्जे में अतिक्रमण करने के प्रयास में है जिसके लिये अलग से दावा इसी अदालत में चल रहा है। कागजात पटवार में इस भूमि को खसरा नं0 4970/1 निस्फ भाग अंकित करा रखा है तथा वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में इस वरंग सफेद मार्क "आई" से अंकित किया गया है। वादपत्र के पैरा नं0 4,5,6 में वर्णित कागजात

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

पटवार में इन्द्राजात गैर कानूनी निराधार एवे वोइड है और काबिल दुरूस्ती है तथा कुल खसरा नं0 4970 रकवा 2 बीघा 10 बिस्वे काश्ता भूमि पर उक्त मस्जिद पंच बिसायतियान की खातेदारी घोषित कराने के लिये व इसी प्रकार के इन्द्राजात कागजात पटवार में कराने के लिये वादी अधिकारी है। उक्त खसरा नं0 4970 रकब 2 बीघा 10 विस्वा की काश्ता भूमि पर वादपत्र की मद नं0 6 में बताये अनुसार प्रतिवादीगण का निर्माण एवं कब्जा अनाधिकार व अवैध है वादी इन प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अनाधिकार निर्माण को हटवाके कब्जा वापिस पाने का अधिकारी है। विनाय दावा दिनांक 15–7–79 को उपरोक्त गलत इन्द्राजात का इल्म होने पर प्रतिवादीगण से अनाधिकार एवं अवैध निर्माण को हटाकर कब्जा वापिस देने पर कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर देने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुआ। दावा काबिज समाअात अदालत हाजा है। उपरोक्त मस्जिद पंच विसायतियान एवं उक्त खसरा न0 4970 की काश्ता भूमि पब्लिक वक्फ है एवं उक्त मस्जिद परपेच्यूअल माईनर है वादीगण प्रबन्धक है तथा वक्फ बोर्ड से दावा लाने के नियमानुसार अधिकृत है। पब्लिक वक्फ सम्बन्धित दावा लाने के लिये दी पब्लिक एक्टेंशन आफ लिमिटेशन राजस्थान ऐमेंन्डमेंन्ट एक्ट 1978 के अन्तर्गत दिसम्बर 1980 तक मियाद बढाई जा चुकी है और दावा अन्दर मियाद है। मौजूदा सेटिलमेंट संवत 2015 के अनुसार खसरा नं0 4970 रकवा 2 बीघा 10 विस्वा बारानी अलिप काश्ता भूमि जिसे वाद में कागजात पटवार में खसरा नं0 49780/1 रकवा 2 बीघा 5 विस्वा ख0न0 4970/2 रकवा एक विस्वा ख0न0 4970/3 रकवा एक विस्वा, ख0न0 4970/4 रकवा एक विस्वा एवं ख0न0 4970/5 रकवा 2 विस्वा [illegible] रखा। पर हकूक खातेदारी मस्जिद पंच विसायतियान [illegible] दरवाजे बाहर करौली घोषित किये जावें। उपरोक्त [illegible] 4970 रकवा 2 बीघा 10 विस्वा पर से दावे की मद नं0 6 में बताये अनाधिकार निर्माण को हटवाकर प्रतिवादीगण से कब्जा उक्त मस्जिद पंच विसायतियान को दिलाया जावे। वादी मस्जिद पंच विसायतियान वक्फ है जो वक्फ अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है। वाद पत्र के साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:41
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

संलग्न नक्शे में नारांजा रंग से दर्शाई काश्ता भूमि जिसकी तफसील आगे बताई गई है। मस्जिद पंच विसातियान वादी की माफी व खुद काश्त की काश्ता भूमि थी जो जागीर रजिम्शन अधिनियम के अन्तर्गत रिज्यूम होने के पश्चात से ही मस्जिद मजकूर की खातेदरी व स्वामित्व व अधिपत्य की अचल संपत्ति है। सैकडों वर्ष पूर्व हिण्डौन दरवाजे बाहर कस्बा करौली में हिण्डौन करौली सड़क के सहरे 2 बीघा 15 बिस्वा करौली रियासत के जमाने में तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से उक्त वादी मस्जिद मजकूर को माफी में दी गई थी। जिसका सात्विक बन्दोबस्त के अनुसार खसरा नंबर 3872 है। माफी मिलने के पश्चात उसमें मस्जिद का निर्माण हुआ है व आबादी हुई है तथा बारह खम्म मजार एवं चाह मस्जिद मजकूर की ओर से बन गये इसलिये हाल सेटिलमेंट संवत 2015 में उक्त 2 बीघा 15 बिस्वा में से खसरा नंबर 4967 आबादी एवं खसरा नंबर 4968 1 बिस्वा गैर मुमकिन चाह तथा खसरा नंबर 4969 1 बिस्वा बारह खम्भा मजार अंकित हो गई बाकी 2 बीघा 10 बिस्वा काश्ता भूमि बारानी अलिफ खसरा नंबर 4970 अंकित हुये। जिसका विवादित काश्ता भूमि एक भाग है। उक्त खसरा नंबर 4970 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा काश्त भूमि जागीर रिजम्पशन अधिनियम के अन्तर्गत हकूक माफी मस्जिद मजकूर रिज्यूम हो जाने पर उक्त अधिनियम व राजस्थान टि. एक्ट के प्रावधानों के साथ इस समस्त भूमि पर मस्जिद पंच विसातियान वादी को हकूक खातेदारी प्राप्त हो गये तभी से यह समस्त भूमि वादी की खातेदारी व अधिपत्य की चली आ रही है और इसमें अन्य किसी के किसी प्रकार के हकूक काश्त नहीं है। मौजूदा सेटलमेंट के कई वर्षों बाद मस्जिद मजकूर से छिपा कर गैर कानूनी तरीके से खसरा नंबर 4970 रक[illegible] बिस्वा काश्ता भूमि को खसरा नंबर 49770/1 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 4970/2 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 4970/3 रकबा 1 बिस्वा खसरा नंबर 4970/4 रकबा 1 बिस्वा एवं खसरा नंबर 4970/5 रकबा 5 बिस्वा पांच भागों में तत्कालीन तहसील कर्मचारियों ने विभाजित करके मौजूदा कागजात पटवार में अंकित कर दिये है। जो काबिज दुरूस्ती है। विवादित भूमि खसरा नंबर 4970/3 रकबा 1 बिस्वा का

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

2/3 भाग है जो वादपत्र के साथ नक्शे में बैरंग नारंजा से बताया गया है। सेटलमेंट संवत 2015 में सेटलमेंट कर्मचारिगण से मिल के तत्कालीन प्रबंधकगण मस्जिद मजकूर ने बर बिना बदयानित उक्त खसरा नंबर 4970 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में अनाधिकार कृषक में खाने में अपना नाम अंकित करा दिये है। जिसके फलस्वरुप उन्होंने अनाधिकार दीगर व्यक्तियों हस्तांतरिक करके हक हकूक मस्जिद पर तनाजे पैदा कर दिये है। जिसका दावा संख्या 140/86 न्यायालय हाजा में लंबित है। उसमें भी उर्मिला, विमला, निर्मल कुमार, भौरूसिंह प्रतिवादी है। जिनके खिलाफ खसरा नंबर 4970/3 पर दिनाक 23.6.81 से यथावत स्थिति रखने हेतु स्थाई निषधाज्ञा प्रभाव में है। जो दिनांक 1.10.85 को कन्फर्म हो चुकी है। दिनांक 14.5.91 को प्रतिवादी नंबर 1 ने वादपत्र में संलग्न नक्शा नारंजा रंग दर्शाया है। व्यवसाय हेतु दो काफी बडे लकडी व चद्दर की स्टाले अनाधिकार लगा दी है। वादी द्वारा कहन सुन करने पर प्रतिवादी नंबर 1 आमदा फिसाद हो गया। वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्राप्त करने का अधिकारी व दखल प्राप्त करने का अधिकारी है। अंत में दावा वादी डिक्री किये जो का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया। **प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जबाब प्रस्तुत कर कथन किया है** कि मस्जिद पब्लिक वक्फ होना भी गलत है। रकबा 2 बीघा 10 विस्वा जमीन सडके के सहारे इसकी होना व इसको दिया जाना भी गलत है। रकबा 2 बीघा 10 विस्वा खुद कास्ता होना भी गलत है और स्वीकार नही है। कभी खुद नही रही। माफी जब्त होने से भी खातेदारी मस्जिद बन यह बात भी गलत है। [illegible] टीनेन्सी एक्ट के मुताबिक कोई हकूक खातेदारी कास्त नही हो। धम्बल, जफरू, भौरू व कुल्लड होना भी गलत दर्ज किया गया है। यह जो धम्बल, जफरू, भौरू व कुल्लड व अन्य काबिज खातेदार के हक हकूक खातेदारी कास्त सही काबिज है। वादी कभी भी खातेदारी काश्त कर नही रहा है। वादी को entry दुरुस्ती 'इन्द्राज दुरूस्ती' का कोई हक हकूक नही है। पांच छह साल की बात भी गलत दर्ज है।उनका

Signature Not V
Digitally signed by F
Date: 2026.05.04 13
Reason: SelfAtteste

[illegible] अधिकारी
[illegible]

कहना जायज उनको हकूक खातेदारी नही है। उनके खिलाफ की मियाद निम्न पुरी थी। वादी न तो काबिज है नही ही कोई हकूक वादी के कास्त करते है। **प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि** खसरा नम्बर 4970–1, 4970–5 हिण्डौन दरवाजे बाहर मस्जिद की माफी की नही है। बल्कि धम्बल मुसलमान के खाते की थी। आराजीदावा का मद नं0 6 में मुझ प्रतिवादी से संबंधित है। जिसमें खसरा नं0 4970–2, रकबा एक बिस्वा व ख0नं0 4970–5 रेवा दो बिस्वा को धम्बल खातेदार ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा सन् 1964 में मुझ प्रतिवादी को विक्रय कर दिया है तथा ग्राम पंचायत बेरून शहर द्वारा दिनाक 13.6.65 को मुझ प्रतिवादी के पक्ष में नामांतकरण स्वीकार किया गया था। मुझ प्रतिवादी ने निर्माण नगरपालिका करौली की स्वीकृति से किया है निर्माण की स्वीकृति के पूर्व नगरपालिका करौली द्वारा आपत्ति आमंत्रण करने हेतु हर खास आम को जारी किये गये थे उस समय कोई आपत्ति किसी की ओर से प्रस्तुत नही हुई नगरपालिका करौली की स्वीकृति की फोटोस्टेट कॉपी संलग्न है। वादी को कोई विनाय मुखासमत पैदा नही हुई है न वादी को दावा दायर करने का हक है। उक्त आराजी को आबादी में रूपांतकरण कराने हेतु भूमि रूपांतरण अधिकारी हिण्डौन के समक्ष मुझ प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उपरोक्त अधिकारी ने जांच की थी और उनके आदेश दि.5.2.83 द्वारा ख0नं04970/2 व 4970/5 आबादी में रूपांतरण की गयी थी। प्रार्थी ने रूपांतरण शुल्क राजकोष में नगरपालिका विकास शुल्क पट्टा भी दि028.2.83 को मुझ प्रतिवादी के हक में जारी कर दिया ऐसी सूरत में अब यह आराजी काश्त ने होकर आबादी की है जिसके संबंध में अब दावा वादी बाबत [illegible] चलने योग्य नही है। मुझ प्रतिवादी का उक्त ख0नं0 मे पक्का मकान [illegible] किया हुआ हैजिसकी कीमत इस समय तीन लाख रूपये से [illegible] है आराजी मुतदाविया मस्जिद की नही है न कोई मस्जिद के नाम पट्टा हुआ है न रेवेन्यू रिकार्ड में मस्जिद के नाम कोई इन्द्राज ही है। ऐसी सूरत में दावेदार को दावे का कोई हक नही है। प्रति.का आराजी मुतदाविया पर बीसों साल से ओपन व होस्टाईल कब्जा है जो मस्जिद

Signature Not Verif
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

के प्रबंधकर्ता को अच्छी तरह मालूम है परन्तु 12 साल के अन्दर आज तक कोई कार्यवाही नही की ऐसी सूरत में दावा वेरून मियाद है। मस्जिद को दायरी दावा करने का कोई अधिकार नही है। दावा चलने योग्य नही हैं। वादी ने तहसीलदार साहब करौली से मिलकर रेफरेन्स कराये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो भी श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय से खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी को तहसील करौली द्वारा दिनांक 30.3.74 को निर्माण हेतु 30 साल का लगान जमा करने पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी। प्रतिवादी संख्या 17 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नं0 4970 हिण्डौन दरवाजे बाहर मस्जिद के माफी की कभी नही रही बल्कि धम्बल वगैरह की खण्डहरा शक्ल में थी। वाद पत्र मद नं0 6 गलत है और मुझ प्रतिवादी से संबंधित है। जिसको खातेदारी धम्बल से खण्डहरा शक्ल में थी जिसको प्रतिवादी ने दिनांक 16–4–80 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद लिया था तभी से प्रार्थी को उक्त मकान पर कब्जा है। प्रार्थी ने खण्डेरा से तवदील कर कर मकान तामीर कर लिया था। निर्माण की स्वीकृति से पूर्व नगरपालिका द्वारा आपत्ति आमंत्रण करने हेतु हर खास आम को नोटिस जारी किये थे। उस वक्त भी कोई आपत्ति किसी ओर से प्रस्तुत नही हुई। वादी को कोई बिनाय मुखासमत के खिलाफ प्रतिवादी पैदा नही होती है। उक्त नम्बर में पूर्व से ही खण्डहर बना लिया इसलिए रूपांतरण की कोई आवश्यकता नही थी फिर भी प्रार्थी ने रूपांतरण अधिकारी महोदय हिण्डौन के समक्ष प्रार्थना पत्र जरिये रसीद संख्या 105/82 एव 106/82 दिनांक 15–4–82 को जमा करा दी थी। वादी ने रूपांतरण न किये जाने बाबत भूमि रूपांतरण अधिकारी हिण्डौन के समक्ष उजरदारी [illegible] थी जो खारिज फरमा दी गयी थी ऐसी सूरत में [illegible] होकर आबादी की है जिसके संबध में दावा वादी [illegible] नही है। मकान नगरपालिका करौली से भवन नं0 13 वेरून शहर दर्ज है हाउस टैक्स प्रार्थी अदा करता चला आ रहा है। मुझ प्रार्थी का उक्त खसरा नं0 में पक्का मकान तामीर किया हुआ है जिसकी कीमत इस समय तीन लाख रूप्ये की है। आराजी मुतदाविया मस्जिद की नही है

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

न कोई मस्जिद के नाम का पटटा हुआ है न रेवेन्यू रिकार्ड में मस्जिद के नाम कोई इन्द्राज ही है ऐसी सूरत में दावेदार को दावा करने का हक नही है। धम्बल प्रतिवादी का आराजी मुतदाविया पर बीसीयों सालों से ओपन व होस्टाईल कब्जा रहा था जो मस्जिद के प्रबन्ध कर्ताओं को अच्छी तरह मालूम था। परन्तु बारह साल के अन्दर आज तक कोई कार्यवाही नही की ऐसी सूरत में दावा वेरून मियाद है। मस्जिद को दायरी दावा करने का कोई अधिकार नही है दावा चलने योग्य नही है। पहले भी इसी आराजी के संबंध में दावा उनवानी मस्जिद बनाम जफरू से पेश किया था जिसमें बादी को खातेदार न मानते हुऐ दावा खारिज दि.13–1–86 को फरमाया गया था इसलिए दावा से रेस जूडिटिन आरिज है। वादी ने तहसीलदार करौली से मिलकर रैफरेन्स कराये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय से खारिज फरमाया गया। मस्जिद न तो माईनर है न परीपीच्यूल माईनर है न उसकी खुद की वहैसियत काश्तकार काश्त करते थे उनके नाम खाता कायम किया गया था वह सही था और भूमि को वय करने का पूर्ण अधिकार था। प्रतिवादी संख्या 21 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि खसरा नं0 4970 हिण्डौन दरवाजे बाहर मस्जिद के माफी की कभी नही रही बल्कि धम्बल वगैरह की खण्डहरा शक्ल में थी। मद नं0 6 वाद पत्र मुझ प्रतिवादी से संबंधित है जिसको खातेदार धम्बल से खण्डहेरा की शक्ल में थी जिसको प्रतिवादीया ने दिनांक 10.3.64 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद कर नगरपालिका करौली से दिनांक 3.11.71 एवं 13.2.79 को मंजूरी लेकर मकान निर्माण कराया है और तब्जी से प्रार्थी को उक्त मकान पर कब्जा है। वाद पत्र मद नं0 9 में मुझ प्रतिवादीया [illegible] नगर-पालिका करौली की स्वीकृति दिनांक 3.11.71 व 13[illegible] निर्माण की स्वीकृति से पूर्व नगरपालिका द्वारा आप[illegible] हेतु हर खास व आम को नोटिस जारी किये थे। उस वक्त भी कोई आपत्ति किसी ओर से प्रस्तुत नही हुई। वादी को कोई विनाय मुखासमत खिलाफ प्रतिवादीया पैदा नही होती है। उक्त नम्बर में पूर्व से ही खण्डहरा बना था इसलिए रूपांतरण की कोई आवश्यकता नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

थी फिर भी प्रार्थीया ने रूपांतरण अधिकारी हिण्डौन के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जरिये रसीद संख्या 108/82 एवं 102/82 दिनांक 15.4.82 को जमा करा दी थी। वादी ने रूपांतरण न किय जाने बाबत भूमि रूपातंरण अधिकारी हिण्डौन के समक्ष उज्रदारी भी पेश की थी जो खारिज फरमा दी गयी थी ऐस सूरत में आराजी काश्त न होकर आबादी की है जिसके संबंध में दावा वादी बाबत घोषणा चलने योग्य नही है। मुझ प्रार्थीया का उक्त खं0न0 में पक्का मकान तामीर किया हुआ है जिसकी कीमत इस समय तीन लाख रूप्ये की है। आराजी मुतदाविया मस्जिद की नही है न कोई मस्जिद क नाम का पटटा हुआ है न रेवेन्यू रिकार्ड में मस्जिद के नाम कोई इन्द्राज ही है ऐसी सूरत में दावेदार को दावे का हक नही है। धम्बल प्रतिवादी का आराजी मुतदाविया पर बीसीयों कर्ताओं को अच्छी तरह मालूम था परन्तु 12 साल के अन्दर आज तक कोई कार्यवाही नही की ऐसी सूरत में दावा वेरून मियाद है। मस्जिद को दायरी दावा करने का कोई भी अधिकार नही है दावा चलने योग्य नही है। पहले भी इसी आराजी के संबंध में दावा उनवानी मस्जिद बनाम जफरू पेश किया था जिसमें वादीको खातेदार न मानते हुऐ दावा खारिज 13.1.86 को फरमाया गया इसलिए दावा में रेस्त जूडिटा आरिज है। वादी ने तहसीलदार साहब करौली से मिलकर रेफरेन्स कराये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो भी श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय से खारिज फरमाया गया। मस्जिद न तो माईनर हे न परपीच्यूल माईनर से न उसकी खुद काश्त की आराजी कभी नही रही बल्कि धम्बल आदि उक्त आराजी को वहेसियत काश्तकार काश्त करते थे उनके नाम खाता कायम किया गया था सही था और भूमि को वय करने का पूर्ण अधिकार था। प्रतिवादी संख्या 24 द्वारा जबाव प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 4970/4 हिण्डौन दरवाजे बाहर मस्जिद की खाते की नही है बल्कि धम्बल मुसलमान की खातेदारी में थी। मद नं0 6 का मुझ प्रतिवादी से संबंधित है जिसमें आराजी खसरा नं0 4970/4 को धम्बल खातेदार ने जरिये रजिस्टर्ड वय दिनांक 24.11.66 ....मुझ प्रतिवादी को विक्रय किया है तथा ग्राम पंचायत बेरून शहर द्वारा

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दिनांक 26.1.67 को मुझ प्रतिवादी के पक्ष में नामांतरण स्वीकार किया गया है जिनकी फोटोस्टैट कॉपियां अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। मुझ प्रतिवादी नें निर्माण नगरपालिका करौली की स्वीकृति से दिनांक 31–10–73 को किया है निर्माण की स्वीकृति के पूर्व नगरपालिका करौली द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नोटिस हर खास आम हो जारी किये गये थे किन्तु उस समय कोई भी आपत्ति किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत नही हुई नगरपालिका करौली की स्वीकृति की फोटो स्टेट कॉपी संलग्न है। वादी दो मुझ प्रतिवादी के खिलाफ कोई विनाय मुखासमत पैदा नही हुई है और ना वादी को कोई दावा दायर करने का हक है। उक्त आराजी को आजादी में रुपांतरण करने हेतु भूमि रूपांतरण अधिकारी हिण्डौन के समक्ष मुझ प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया थ्ढा जिसपर उपरोक्त अधिकारी ने जांच की थी और उनके आदेश दिनांक 27.10.83 द्वारा आराजीयात नम्बर 4970/4 आबादी में रूपांतरण की गयी थी प्रार्थी ने रूपांतरण शुल्क राज0 कोष में नगरपालिका विकास शुल्क सहित जमा करा दिया, और भूमि रूपांतरण अधिकारी हिण्डौन द्वारा पट्टा भी दिनांक 3–3–84 को मुझ प्रतिवादी के हक में जारी कर दि ऐसी सूरत में अब यह आराजी काश्ता ने होकर आबा की है जिसके संबंध में अब दावा यह आराजी काश्ता न होकर आता की है जिसके सबंध में अब दावा बावत घोषणा चलने योग्य नही है। मुझ प्रतिवादी का उक्त ख0 न0 मे पक्का मकान तामीर किया गया है जिसकी कीमत इस समय दो लाख रूप्ये से कम नही है। आराजी मुतदाविया मस्जिद की नही है, न कोई मस्दिज वे नान का पटटा हुआ है न रेवेन्यू रिकार्ड में मस्जिद के नाम कोई इन्द्राज की है ऐसी सूरत में दावेदार को दाये का [illegible] नही है। धम्बल प्रतिवादी की आराजी मुतदाविया [illegible] ओपिन व होस्टाईल कब्जा चला आ रहा है जो मस्जि[illegible] को अच्छी तरह से मालुम है, परन्तु 12 साल के अन्दर आज तक कोई कार्यवाही नही की, ऐसी सूरत में दावा बेरून मियाद है और चलने योग्य नही है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

है। दिनांक 3.7.86 को अन्य प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ने उपस्थित होकर वादी के वादपत्र को अस्वीकार कर कथन किया है कि उक्त मस्जिद ना तो पंजीकृत है और ना ही कोई पंजीकरण पेश किया है ना ही वक्फ़ बोर्ड की ओर से यह दावा लाया गया है। जमीन मुतनाजा से वादी मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है। यह काश्ता जमीन भी नहीं है। ना ही मस्जिद की कभी खुदकाश्त की रही है। ना ही मस्जिद के खाते व कब्जे की है। नक्शा संलग्न वादपत्र गलत है। आराजी मुतनाजा ना तो माफी की थी ना ही माफी दी जा सकती थी। मस्जिद की तरफ से कुएं का कोई निर्माण नहीं कराया गया है। सारे तथ्य झूठे दर्ज किये है। टीनेन्सी एक्ट लागू होने के वक्त व उससे पहले व उसके बाद कभी भी आराजी मुतनाजा पर मस्जिद काबिज नहीं रही है। वादी मस्जिद के कोई हक हकूक इस जमीन में कभी नहीं रहे है। ना ही मस्जिद का कभी कब्जा रहा है। दावा संख्या 140/86 चलना बताया है तो इस दावे की दुबारा करने की आवश्यकता नही रहती है। उसी में मुझ खरीददार को पक्षकार बनाया जा सकता था। वादी एक ही दावे के समस्त दादरसी प्राप्त कर सकता है। मल्टीप्लेसी ऑफ सूट्स के बिना पर दावा हाजा खारिज होने योग्य है। यह जमीन लबे सड़क है और हमेशा आबादी की रही है। जिसमें प्रतिवादी की स्टालें है। जिसमें प्रतिवादी दवाई की दुकार करता है और चारों आबादी हो चुकी है। दिनांक 14.5.94 की कहानी गलत दर्ज की गई है। हमारा कब्जा साबित है। हमशे पूर्व जमीन विक्रेताओं को [illegible] फिर वादी द्वारा चालाकी से अल्टरनेटेड प्ली दावा को [illegible] के लिए की है। दावा म्याद बहार है। मस्जिद पर [illegible] है। मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है। मस्जिद इबादत स्थान मात्र है और वह किसी भी हालत में माईनर नहीं हो सकती है। मस्जिद वक्फ़ की भूमि है। मस्जिद की ओर से लाला टेलर को दावा लाने का अधिकार नहीं है व प्रबंधक कमेटी का मंत्री व प्रबंधक नहीं है। खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नंबर 4970/3 में पूर्व में नारायण महाजन करौली की कब्जे काश्त की रही है। दुरबी खातेदार ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा इस जमीन के 1/3 हिस्सा को निर्मल, व भरोसी को बय किया है एवं उससे 2/3 हिस्सा को रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 8.9.78 को उर्मिला देवी व विमला देवी को बय किया है और कब्जा आराजी पर सन् 1978 में खरीददारान का कराया है। इस रजिस्टर्ड की रूह से खरीददार के हक में नामांतकरण खुल गया है। उसके बाद 2/3 हिस्सा खरीदादारान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 12.7.90 को बय कर कब्जा जमीन पर मुझ प्रतिवादीगण को करा दिया है। तभी से जमीन पर मय बतौर खातेदार काबिज हूं। वादी ने जमीनों की कीमत बढ जाने के कारण तंग व परेशान करने की नियत से वादी ने जमीन अपनी बताते हुए यह दावा पेश किया है। मस्जिद विधिक व्यक्ति नहीं है। जमीन विवादित पर वादी दायरी दावा के अन्दर 12 साल कभी भी काबिज नहीं रहा है। इसलिए यदि कोई हकूक खातेदारी जमीन में वादी के थे भी तो वे एक्सटिंग्यूस हो चुके है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

यह वाद दिनांक 17.8.2004 को मुकदमा नंबर 117/2002 उनवानी मस्जिद पंच बिसातियान बनाम मेघेन्द्र पाल वगै0 के साथ समेकित किया गया है और इसका विचारन मुकदमा 117/2002 में हुआ है। इसलिए इस मुकदमें की विवाद्यकों का अलग से विवेचन किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दू विरचित किये गये:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

1. आया आराजी खसरा नम्बर साविक वन्दोवस्त 3872 रकवा 2 बीघा 15 बिस्वा हाल वन्दोवस्त के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 4970 रकवा 2 बीघा 10 बिस्वा बारानी आलिफ, आ. ख.न. 4967 रकवा 3 बिस्वा गैर मु. आबादी ख.न. 4968 गैर मु.चाह रकवा एक बिस्वा एवं खसरा न. 4969 मजार। बाराह खम्मा। रकवा 19 बिश्वा वाके कस्बा करौली वादीगण मस्जिद पंच बिसायतियान की माफी की खुद काश्त एवं खातेदारी की भूमि है। माफी जप्त हो जाने के पश्चात मस्जिद

उपखण्ड अधिकारी

पंच विशायतियान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है।

—वादी

2. आया प्रतिवादीगण नं0 26, 27, 28, एव 29 के पति ने मौजूदा सेटिलमेंट में कर्मचारियों से साज कर के अपने नाम फसल का इन्द्राज गलत दर्ज करा कर पर्चा बन्दोवस्त प्राप्त कर अपने नाम खातेदारी इन्द्राज गलत दर्ज करा लिये उन्हें वादीगण दुरुस्त कराने के अधिकारी है।

—वादी

3. आया आराजी खसरा नं0 4970 मुताबिक बन्दोवस्त हाल रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा दो पांच खसरा नम्बरान में आराजी ख0 न0 4970/1, रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, ख0.न0. 4970/2 रकबा 11 बिस्वा, ख.न. 4970/3 रकबा 1 बिस्वा, ख0न0 4970/4 रकबा 1 बिस्वा, एवं खसरा नं0 4970/5 रकबा 3 बिस्वा, गैर कानूनी तरीके से वादी को बगैर सुने राजस्व रिकार्ड में विभक्त कर दिया, जिसे वादीगण दुरुस्त कराने के अधिकारी हैं।

—वादी

4. आया वादपत्र के मद नं0 6 के उपखण्ड, अ, ब, स, द, ह क, ख, स, के अनुसार विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जा वादी में मदखलत करते है। इसलिये जरिये स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण पाबन्द होने योग्य है। इनकी आल्टरनेटिव अदालत द्वारा कब्जा प्रतिवादीगण माना जाने की अवस्था में अनाधिकार काबिज है इसलिये प्रतिवादीगण काबिल बेदखली है। —वादी

5. आया दावा वेरून मियाद है। —प्रतिवादीगण

6. आया दावा हाजा पर रेस जुडीकेटा का सिद्धान्त लागू होता है।

—प्रतिवादीगण

7. आया दावा हाजा दीवानी न्यायालय के श्रवणाधिकार [illegible]

—प्रतिवादीगण

8. आया मस्जिद को दायरी दावा करने का कोई अधिकार नही है।

—प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

9. आया आराजी का रूपान्तरण आदेश रूपान्तर अधिकारी द्वारा करा दिया गया है और प्रतिवादीगण ने मकान तामीर करा दिये है ऐसी सूरत में दावा वादी चलने योग्य नही है। —प्रतिवादीगण

10.दादरसी :–

वाद विवाद्यक बिन्दु वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य वादी पीडब्ल्यू–1 महमूद अहमद एवं पीडब्ल्यू–2 अब्दुल हलीम के बयान लेखबद्ध कराये एवं दस्तावेजी सबूत में दावा पेश करने की इजाजत प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 एवं नकल मार्क मिसल प्रदर्श–4, स्टेट टाईप की मिसल बदोबस्त प्रदर्श–5, इसका हिन्दी अनुवाद प्रदर्श–6, आदेश समय बढ़ाने बाबत प्रदर्श–7, नक्शा प्रदर्श–8 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य वादीगण समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में डीडब्ल्यू–1 विशम्बर, डीडब्ल्यू–2 राधामोहन, डीडब्ल्यू–3 गीतारानी, डीडब्ल्यू–4 रविन्द्रपाल, डीडब्ल्यू–5 राधेश्याम बंसल, डीडब्ल्यू–6 दिनेशचंद, डीडब्ल्यू–7 सलमा के बयान लेखबद्ध कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2056–59 प्रदर्श ए–1, खसरा गिरदावरी संवत 20256–59 प्रदर्श ए–2, नगरपालिका की हाउस टेक्स की नकल प्रदर्श ए–3, नकल जमाबंदी संवत 2044–47 प्रदर्श–ए–4, नकल जमाबंदी संवत 2028–31 प्रदर्श ए–5, गिरदावरी प्रदर्श ए–6, नक्शा विकास शुल्क की रसीद प्रदर्श ए–7, हाउस टेक्स की नगरपालिका की रसीद प्रदर्श ए–8, विद्युत प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–9, बयनामा दुर्गी देवी बहक निर्मल कुमार मौकू सिंह प्रदर्श ए–10, विवादित जमीन का आबादी में आवासीय जमीन क[illegible] कन्वर्जन पट्टा की सत्यप्रति प्रदर्श ए–11 व [illegible] नामांतकरण दिनांक 26.01.1967 प्रदर्श ए–13, नगरपरिषद की मंजूरी प्रदर्श ए–14 असल, रसीद प्रदर्श ए–15 असल, नक्शा ट्रेस प्रदर्श ए–16, बयनामा उर्मिला देवी, विमला देवी बहक राधेश्याम, पट्टा प्रदर्श–1ए व 2ए, मुख्त्यारनामा आम प्रदर्श–ए3, बयनामा दिनांक 24.4.72 प्रदर्श–ए4, डिक्री व निर्णय मुकदमा नंबर 351/85 की प्रमाणित

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

प्रति प्रदर्श–3ए एवं 4ए, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–ए17, बयनामा दिनांक 16.4.80 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श–18ए, नकल जमाबंदी खसरा नंबर 4966 प्रदर्श–19ए, नकल जमाबंदी खसरा नंबर 4970/1 प्रदर्श–20, बयनामा प्रमाणित प्रति प्रदर्श–ए21, नकल सेटलमेंट खतौनी प्रदर्श–ए22 व ए23, नकल बंदोबस्त जमाबंदी प्रदर्श–ए24, मतदाता सूची प्रदर्श ए25, प्रदर्श डीडब्ल्यू 2/ए1 व ए2 पट्टा नगरपालिका करौली दिनांक 5.2.1983, पट्टा विलेख की कॉपी प्रदर्श डीडब्ल्यू 2/1ए, नकल डिक्री सहायक जिलाधीश करौली डीडब्ल्यू/2ए, पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य प्रतिवादीगण समाप्त कर बंद की गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन है कि कस्बा करौली में हिण्डौन दरवाजे बाहर मस्जिद पंच विसायतियान पब्लिक वक्फ स्थित है। सैकड़ों वर्ष पूर्व इसके पड़ोस में हिण्डौन करौली सड़क सरकारी के सहारे दो बीघा 15 बिस्वा काश्ता भूमि उक्त मस्जिद को करौली रियासत के जमाने में तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से माफी में दी गई थी जिसका साबिक बन्दोबस्ता खसरा नं0 3892 हैं। उपरोक्त भूमि के मौजूदा सेटलमेंट सं0 2015 में खसरा नं0 4970 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा बारानी अलिफ खसरा नं0 4970 रकबा 3 बिस्वा गैर मुमकिन आबादी ख0न0 4968 में मुमकिन चाह 1 बिस्वा ख0 न0 4969 मगार बारह ख0न0 1 बिस्वा बन गया। माफी में उक्त भूमि मिलने के बाद से ही खसरा नं0 4967 में खाम मकानियत उक्त मस्जिद की ममलूका मकतूजा बन गई जो अब खण्डर के रूप में है। खसरा नं0 4968 में एक किता चाह ख0न0 4969 में मजार तभी के मस्जिद के बने हुए हैं। बाकी खसरा नं0 4970 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा दौरान माफी मस्जिद को खुदकाश्ता में तथा 1963 में माफी जब्त होने के पश्चात उक्त मस्जिद की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है अन्य किसी का किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। उपरोक्त कुल काश्ता भूमि 2 बीघा 10 बिस्वा न0 4970 पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधानों के अनुसार एक मात्र हकूक खातेदारी व कब्जा काश्त उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

सम्पदा अधिकारी
करौली (राज०)

मस्जिद पंच विसायतीयान को प्राप्त है और पब्लिक वक्फ सम्पत्ति है अन्य किसी के किसी प्रकार के हकूक नही है। प्रतिवादीगण नं0 26, 27, 28 धम्बल जफरू एवं भोलू एवं प्रतिवादी नं0 29 के प्रति कुल्लड कौम से विसायतीयान मुसलमान है और मस्जिद के प्रबन्ध में इनका हाथ रहा था उन्होंने मौजूदा सेटलमेंट सं0 2015 में बदोबस्त बिभाग के कर्मचारियों से साज करके अपना नाम "कृषक" गलत दर्ज करा कर परचा बदोबस्त प्राप्त कर लिया जिसके फलस्वरूप कागजात पटवारी में इनके नाम खातेदारी के गलत दर्ज हो गये जो काबिल दुरूस्ती है। मौजूदा सेटलमेंट के कई वर्षो वाद उक्त खसरा नं0 4970 रकवा 2 वीघा 10 विस्वा की भूमि को कागजात पटवार में वादी से छिपाकर गैर कानूनी तरीके से पांच खसरा नम्बर में 4970/1 रकवा 2 वीघा 5 विस्वा व ख0 नं0 4970/2 रकवा एक विस्वा ख0 नं0 4970/3 रकवा एक विसवा, ख0नं0 4970/4 रकवा एक विस्वा एवं खसरा नं0 4970/5 रकवा 2 विस्वा बांट दिया है जो काबिल दुरूस्ती है। उक्त खसरा नं0 4970 में से रकवा एक वीघा डेढ विस्वा को काश्ता भूमि को प्रतिवादी धम्बल से मिलके प्रतिवादीगण मेघेन्द्रपाल अरविन्दपाल बहादुरसिंह, भगवत प्रसाद ने गैर कानूनी एवं वोइड मुन्तकिली द्वारा पक्ष में अवैध नामान्तकरण करा लिया है इसे कागजात पटवार में नम्बर 4970/1 का भाग 43/90 अंकित करा रखा है तथा संलग्न नक्शे वादपत्र में वरंग वैंगनी मार्क "एच" से अंकित किया है इस भूमि पर ये प्रतिवादीगण कब्जा काश्त वादी में बाधा डालते है इसलिये पाबन्द होने योग्य है तथा अदालत द्वारा इनका कब्जा सावित मानने की अवस्था में इस भूमि में उनका अनाधिकार कब्जा है और काबिल बेदखली है। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में उक्त खसरा नं0 [illegible] भूमि में से वरंग पीली मार्क "एफ" भूमि पर प्रतिवादी [illegible] प्रतिवादीगण कन्हैयासिंह व नं0 7 रामजीलाल ने [illegible] अनाधिकार कब्जा कर रखा है और काबिले बेदखली है। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे मे खसरा नं0 4970 की काश्ता भूमि में से वरंग भूरा मार्क "जी" भूमि पर प्रतिवादी धम्बल से मिलके गैर कानूनी एवं वोइड मुन्तकली द्वारा प्रतिवादीगण 05 रामसिंह एवं नं0 6 उसकी स्त्री ने

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

अनाधिकार कब्जा कर रखा है और काबिल बेदखली है। वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में काश्ता भूमि खसरा नं0 4970 में से वरंग काला मार्क ''डी'' पर प्रतिवादी धम्बल से मिलके प्रतिवादीगण नं0 20 मनोहरलाल कटोरी देवी एवं प्रतिवादीगण नं0 22 राधे व प्रतिवादी नं0 23 ओमप्रकाश ने अनाधिकार कब्जा कर रखा है इसलिये उक्त निर्माण को हटवाया जाकर ये काबिल बेदखली है। खसरा नं0 4970 की काश्ता भूमि में से वादपत्र के साथ सलंग्न नक्शे में वरंग नीला मार्क ''सी'' काश्ता भूमि पर प्रतिवादीगण नं0 26 धम्बल व प्रतिवादी नं0 17 कल्याण महाजन एवं न0 18 कल्याण नं0 19 घीस्या मालीयान ने अनाधिकार कब्जा कर रखा है औश्र खाम पाटोर डाल रखी है जिन्हें हटवाया जाकर काबिल बेदखली है। उक्त खसरा नं0 4970 की काश्ता भूमि में से वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे मे वरंग लाल मार्क ''ई'' काश्ता भूमि पर प्रतिवादी धम्बल से मिलके गैरकानूनी एवं वोइड मुन्तकिली द्वारा प्रतिवादी भौरूलाल ने अपने पक्ष मे अवैध नामान्तकरण करा लिया है जो काबिल दुरूस्ती है तथा अवैध निर्माण कराके अनाधकार कब्जा कर लिया है इसलिये अवैध निर्माण हटाया जाकर काबिल बेदखली है। कागजात पटवार में इस भूमि को खसरा नं0 4970/4 रकबा एक क विस्वा अंकित कर रखा है। उक्त खसरा न0 4970 की काश्ता भूमि मे से वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा में वरंग नारंजा मार्क ''वी'' काश्ता भूमि पर प्रतियादी धम्बल मे मिलकर प्रतिवादी दुर्गा के पति मृतक श्री नारायण ने गैर कानूनी एवं वोइड मुन्तकिली द्वारा अपने पक्ष में अवैध नामान्ताकरण करा लिया एवं छप्पर इत्यादि हाल के प्रतिवादीगण नं0 14 दुर्गा देवी प्रतिवादीगण 14अ निर्मल कुमार, नं0 14 व भौरूसिंह, नं0 14 से उर्मिला [illegible] 14 द विमला देवी नं0 15 15 हनुमान नं0 16 नथुआ ने [illegible] कर रखा है उक्त अनाधिकार कब्जा कर रखा है भू[illegible] पटवार में 4970/3 रकवा एक विस्वा अंकित करा रखा है। उक्त खसरा नं0 4970 की काश्ता भूमि में से वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में वरंग हरा मार्क ''क'' काश्त भूमि पर प्रतिवादीगण धम्बल से मिलके प्रतिवादी हरहेतलाल ने गैश्र कानूनी एवं वोइड मुन्तकिली द्वारा अपने

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

पक्ष में अवैध नामान्तकरण करा लिया है जो काविल दुरूस्ती है तथा इस भूमि पर अनाधिकार निर्माण करा लिया है जो काविल दुरूस्ती है तथा इस भूमि पर अनाधिकार निर्माण करा लिया है जो काविल हटाये जाने के है तथा इस भूमि पर प्रतिवादी गण नं0 9 हरहेतलाल नं0 10 रामलीलाल नाजिर नं0 11 श्याम सुन्दर भारद्वाज, नं0 12 विशम्बर नं0 13 रतन अनाधिकार काविज है इसलिये अवैध निर्माण हटाया जाकर काविल बेदखली है इस भूमि को कागजात पटवार में खसरा नं0 49670/2 रकवा एक विसवा एवं खसरा नं0 49670/5 रकवा 2 विस्वा अंकित कर रखा है। जो काविज दुरुस्ती है। वादपत्र की मद नं0 6 में वर्णित काश्ता भूमि में अतिरिक्त खसरा नं0 4970 की बची हुई काश्ता भूमि रकवा एक वीघा दाई विस्वा पर प्रतिवादीगण नं0 27 जफरू नं0 28 भोलू, नं0 29 जहूरन से मिलकर गैर कानूनी एवं वोइड मुन्तकली द्वारा कयूम खां ने स्वयं एवं अपने नावालिग लडकों व अब्दुल करीम ने अपने नाबालिग लडके के पक्ष में अवैध नामान्तकरण करा लिया है और वादी के कब्जे में अतिकमण करने के प्रयास मे है जिसके लिये अलग से दावा इसी अदालत में चल रहा है। कागजात पटवार में इस भूमि को खसरा नं0 4970/1 निस्फ भाग अंकित करा रखा है तथा वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में इस वरंग सफेद मार्क "आई" से अंकित किया गया है। वादपत्र के पैरा नं0 4,5,6 में वर्णित कागजात पटवार में इन्द्राजात गैर कानूनी निराधार एवे वोइड है और काविल दुरूस्ती है तथा कुल खसरा नं0. 4970 रकवा 2 वीघा 10 विस्वेकाश्ता भूमि पर उक्त मस्जिद पंच विसायतियान की खातेदारी घोषित कराने के लिये व इसी प्रकार के इन्द्राजात कागजात पटवार में कराने के लिये वादी अधिकारी है। उक्त खसरा नं0 4970 रकवा 2 वीघा 10 विस्वा की काश्ता भूमि पर वादपत्र की मद नं0 6 [illegible] प्रतिवादीगण का निर्माण एवं कब्जा अनाधिकार व अवैध [illegible] प्रतिवादीगण द्वारा किये गये अनाधिकार निर्माण को हटवाके कब्जा वापिस पाने का अधिकारी है। विनाय दावा दिनांक 15–7–79 को उपरोक्त गलत इन्द्राजात का इल्म होने पर प्रतिवादीगण से अनाधिकार एवं अवैध निर्माण को हटाकर कब्जा वापिस देने पर कहने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर देने पर अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुआ। दावा काबिज समाआत अदालत हाजा है। उपरोक्त मस्जिद पंच बिसायतियान एवं उक्त खसरा न0 4970 की काश्ता भूमि पब्लिक वक्फ है एवं उक्त मस्जिद परपेच्यूअल माईनर है वादीगण प्रबन्धक है तथा वक्फ बोर्ड से दावा लाने के नियमानुसार अधिकृत है। पब्लिक वक्फ सम्बन्धित दावा लाने के लिये दी पब्लिक एक्टेंशन आफ लिमिटेशन राजस्थान ऐमेन्डमेंन्ट एक्ट 1978 के अन्तर्गत दिसम्बर 1980 तक मियाद बढाई जा चुकी है और दावा अन्दर मियाद है। मौजूदा सेटिलमेंट संवत 2015 के अनुसार खसरा नं0 4970 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा बारानी अलिफ काश्ता भूमि जिसे बाद में कागजात पटवार में खसरा नं0 49780/1 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा ख0न0 4970/2 रकबा एक बिस्वा ख0न0 4970/3 रकबा एक बिस्वा, ख0न0 4970/4 रकबा एक बिस्वा एवं ख0न0 4970/5 रकबा 2 बिस्वा अवैध अंकित कर रखा। पर हकूक खातेदारी मस्जिद पंच बिसायतियान वाके हिण्डौन दरवाजे बाहर करौली घोषित किये जावें। उपरोक्त खसरा नं0 4970 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर से दावे की मद नं0 6 में बताये अनाधिकार निर्माण को हटवाकर प्रतिवादीगण से कब्जा उक्त मस्जिद पंच बिसायतियान को दिलाया जावे। वादी मस्जिद पंच बिसायतियान वक्फ है जो वक्फ अधियिम के अन्तर्गत पंजीकृत है। वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में नारांजा रंग से दर्शाई काश्ता भूमि जिसकी तफसील आगे बताई गई है। मस्जिद पंच बिसातियान वादी की माफी व खुद काश्त की काश्ता भूमि थी जो जागीर रजिस्थान अधिनियम के अन्तर्गत रिज्यूम होने के पश्चात से ही मस्जिद मजकूर की खातेदरी व स्वामित्व व अधिपत्य की अचल संपत्ति है। सैकडों वर्ष पूर्व [illegible] बाहर कस्बा करौली में हिण्डौन करौली सड़क के सहारे 2 बीघा 15 बिस्वा करौली रियासत के जमाने में तत्कालीन राज्य सरकार की ओर से उक्त वादी मस्जिद मजकूर को माफी मे दी गई थी। जिसका सातिक बन्दोबस्त के अनुसार खसरा नंबर 3872 है। माफी मिलने के पश्चात उसमें मस्जिद का निर्माण हुआ है व आबादी हुई है तथा बारह खम्भ मजार एवं चाह मस्जिद मजकूर की ओर से बन गये इसलिये

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

हाल सेटिलमेंट संवत 2015 में उक्त 2 बीघा 15 बिस्वा में से खसरा नंबर 4967 आबादी एवं खसरा नंबर 4968 1 बिस्वा गैर मुमकिन चाह तथा खसरा नंबर 4969 1 बिस्वा बारह खम्भा मजार अंकित हो गई बाकी 2 बीघा 10 बिस्वा काश्ता भूमि बारानी अलिफ खसरा नंबर 4970 अंकित हुये। जिसका विवादित काश्ता भूमि एक भाग है। उक्त खसरा नंबर 4970 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा काश्त भूमि जागीर रिजम्पशन अधिनियम के अन्तर्गत हकूक माफी मस्जिद मजकूर रिज्यूम हो जाने पर उक्त अधिनियम व राजस्थान टि. एक्ट के प्रावधानों के साथ इस समस्त भूमि पर मस्जिद पंच बिसातियान वादी को हकूक खातेदारी प्राप्त हो गये तभी से यह समस्त भूमि वादी की खातेदारी व अधिपत्य की चली आ रही है और इसमें अन्य किसी के किसी प्रकार के हकूक काश्त नहीं है। मौजूदा सैटलमेंट के कई वर्षो बाद मस्जिद मजकूर से छिपा कर गैर कानूनी तरीके से खसरा नंबर 4970 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा काश्ता भूमि को खसरा नंबर 49770/1 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नंबर 4970/2 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 4970/3 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 4970/4 रकबा 1 बिस्वा एवं खसरा नंबर 4970/5 रकबा 5 बिस्वा पांच भागों में तत्कालीन तहसील कर्मचारियो ने विभाजित करके मौजूदा कागजात पटवार में अंकित कर दिये है। जो काबिज दुरूस्ती है। विवादित भूमि खसरा नंबर 4970/3 रकबा 1 बिस्वा का 2/3 भाग है जो वादपत्र के साथ नक्शे में बैरंग नारंजा से बताया गया है। सेटलमेंट संवत 2015 में सेटलमेंट कर्मचारिगण से मिल के तत्कालीन प्रबंधकगण मस्जिद मजकूर ने बर बिना बदयान्ति उक्त खसरा नंबर 4970 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा में अनाधिकार कृषक में खाने में अपना नाम अंकित करा दिये है। जिसके प[illegible] अनाधिकार दीगर व्यक्तियों हस्तांतरिक करके हक हकूक मस्जिद पर तनाजे पैदा कर दिये है। जिसका दावा संख्या 140/[illegible] न्यायालय हाजा में लंबित है। उसमें भी उर्मिला, विमला, निर्मल कुमार, भौरूसिंह प्रतिवादी है। जिनके खिलाफ खसरा नंबर 4970/3 पर दिनांक 23.6.81 से यथावत स्थिति रखने हेतु स्थाई निषधाज्ञा प्रभाव मे है। जो दिनांक 1.10.85 को कन्फर्म हो चुकी है। दिनांक 14.5.91 को प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

नंबर 1 ने वादपत्र में संलग्न नक्शा नारंजा रंग दर्शाया है। व्यवसाय हेतु दो काफी बडे लकडी व चद्दर की स्टाले अनाधिकार लगा दी है। वादी द्वारा कहन सुन करने पर प्रतिवादी नंबर 1 आमदा फिसाद हो गया। वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्राप्त करने का अधिकारी व दखल प्राप्त करने का अधिकारी है। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादीगण का बहस में कथन है कि मस्जिद पब्लिक वक्फ होना भी गलत है। रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जमीन सडके के सहारे इसकी होना व इसको दिया जाना भी गलत है। रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा खुद कास्त होना भी गलत है और स्वीकार नही है। कभी खुद नही रही। माफी जब्त होने से भी खातेदारी मस्जिद बन यह बात भी गलत है। बादी से राज. टीनेन्सी एकट के मुताबिक कोई हकूक खातेदारी कास्त नही हुऐ। धम्बल, जफरू, भोरू व कुल्लड होना भी गलत दर्ज किया गया है। यह जो धम्बल, जफरू, भोरू व कुल्लड व अन्य काबिज खातेदार के हक हकूक खातेदारी कास्त सही काबिज है। वादी कभी भी खातेदारी काश्त कर नही रहा है। वादी को entry दुरूस्ती "इन्द्राज दुरूस्ती" का कोई हक हकूक नही हैं। पांच छह साल की बात भी गलत दर्ज है।उनका कहना जायज उनको हकूक खातेदारी नही है। उनके खिलाफ की मियाद निम्न पुरी थी। बादी न तो काबिज है नही ही कोई हकूक वादी के कास्त करते है। खसरा नम्बर 4970–1, 4970–5 हिण्डौन दरवाजे बाहर मस्जिद की माफी की नही है। वल्कि धम्बल मुसलमान के खाते की थी। आराजीदावा का मद नं0 6 में मुझ प्रतिवादी से संबंधित है। जिसमें खसरा नं0 4970–2, रकवा एक बिस्वा व ख0नं0 4970–5 रेवा दो [illegible] खातेदार ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा सन् 1964 में [illegible] विक्रय कर दिया है तथा ग्राम पंचायत बेरून शहर द्वारा दिनांक [illegible] 65 को मुझ प्रतिवादी के पक्ष में नामांतकरण स्वीकार किया गया था। मुझ प्रतिवादी ने निर्माण नगरपालिका करौली की स्वीकृति से किया है निर्माण की स्वीकृति के पूर्व नगरपालिका करौली द्वारा आपत्ति आमंत्रण करने हेतु हर खास आम को जारी किये गये थे उस समय कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

आपत्ति किसी की ओर से प्रस्तुत नही हुई नगरपालिका करौली की स्वीकृति की फोटोस्टेट कॉपी संलग्न है। वादी को कोई विनाय मुखासमत पैदा नही हुई है न वादी को दावा दायर करने का हक है। उक्त आराजी को आबादी में रूपांतकरण कराने हेतु भूमि रूपांतरण अधिकारी हिण्डौन के समक्ष मुझ प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उपरोक्त अधिकारी ने जांच की थी और उनके आदेश दि.5.2.83 द्वारा ख0न04970/2 व 4970/5 आबादी में रूपांतरण की गयी थी। प्रार्थी ने रूपांतरण शुल्क राजकोष में नगरपालिका विकास शुल्क पट्टा भी दि028.2.83 को मुझ प्रतिवादी के हक में जारी कर दिया ऐसी सूरत में अब यह आराजी काश्त ने होकर आबादी की है जिसके संबंध में अब दावा वादी बाबत घोषणा चलने योग्य नही है। मुझ प्रतिवादी का उक्त ख0न0 में पक्का मकान तामीर किया हुआ हैजिसकी कीमत इस समय तीन लाख रूप्यें में करीबन है। आराजी मुतदाविया मस्जिद की नहीं है न कोई मस्जिद के नाम पट्टा हुआ है न रेवेन्यू रिकार्ड में मस्जिद के नाम कोई इन्द्राज ही है। ऐसी सूरत में दावेदार को दावे का कोई हक नही है। प्रति.का आराजी मुतदाविया पर बीसों साल से ओपन व होस्टाईल कब्जा है जो मस्जिद के प्रबंधकर्ता को अच्छी तरह मालूम है परन्तु 12 साल के अन्दर आज तक कोई कार्यवाही नही की ऐसी सूरत में दावा वेरून मियाद है। मस्जिद को दायरी दावा करने का कोई अधिकार नही है। दावा चलने योग्य नही हैं। वादी ने तहसीलदार साहब करौली से मिलकर रेफरेन्स कराये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो भी श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय से खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी को तहसील करौली द्वारा दिनांक 30.3.74 को निर्माण हेतु 30 साल का लगान जमा कराकर स्वीकृति प्रदान की गयी थी। खसरा नं0 4970 हिण्डौन दरवाजे बाहर मस्जिद के माफी की कभी नही रही बल्कि धम्बल वगैरह की खण्डहरा शक्ल में थी। वाद पत्र मद नं0 6 गलत है और मुझ प्रतिवादी से संबंधित है। जिसको खातेदारी धम्बल से खण्डहरा शक्ल में थी जिसको प्रतिवादी ने दिनांक 16-4-80 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद लिया था तभी से प्रार्थी को उक्त मकान पर कब्जा है। प्रार्थी ने

Signature Not Veri
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

खण्डेरा से तवदील कर कर मकान तामीर कर लिया था। निर्माण की स्वीकृति से पूर्व नगरपालिका द्वारा आपत्ति आमंत्रण करने हेतु हर खास आम को नोटिस जारी किये थे। उक्त वक्त भी कोई आपत्ति किसी ओर से प्रस्तुत नही हुई। वादी को कोई विनाय मुखासमत के खिलाफ प्रतिवादी पैदा नही होती है। उक्त नम्बर में पूर्व से ही खण्डहर बना लिया इसलिए रूपांतरण की कोई आवश्यकता नही थी फिर भी प्रार्थी ने रूपांतरण अधिकारी महोदय हिण्डौन के समक्ष प्रार्थना पत्र जरिये रसीद संख्या 105/82 एव 106/82 दिनांक 15–4–82 को जमा करा दी थी। वादी ने रूपांतरण न किये जाने बाबत भूमि रूपांतरण अधिकारी हिण्डौन के समक्ष उज्रदारी भी पेश की थी जो खारिज फरमा दी गयी थी ऐसी सूरत में आराजी काश्त न होकर आबादी की है जिसके संबंध में दावा वादी घोषणा चलने योग्य नही है। मकान नगरपालिका करौली से भवन नं0 13 वेरून शहर दर्ज है हाउस टैक्स प्रार्थी अदा करता चला आ रहा है। मुझ प्रार्थी का उक्त खसरा नं0 में पक्का मकान तामीर किया हुआ है जिसकी कीमत इस समय तीन लाख रूप्ये की है। आराजी मुतदाविया मस्जिद की नही है न कोई मस्जिद के नाम का पटटा हुआ है न रैवेन्यू रिकार्ड में मस्जिद के नाम कोई इन्द्राज ही है ऐसी सूरत में दावेदार को दावा करने का हक नही है। धम्बल प्रतिवादी का आराजी मुतदाविया पर बीसीयों सालों से ओपन व होस्टाईल कब्जा रहा था जो मस्जिद के प्रबन्ध कर्ताओं को अच्छी तरह मालूम था। परन्तु बारह साल के अन्दर आज तक कोई कार्यवाही नही की ऐसी सूरत में दावा वेरून मियाद है। मस्जिद को दायरी दावा करने का कोई अधिकार नही है दावा चलने योग्य नही है। पहले भी इसी आराजी के संबंध में दावा उनवानी मस्जिद [illegible] से पेश किया था जिसमें वादी को खातेदार न मानते हुऐ दावा खारिज दि.13–1–86 को फरमाया गया था इसलिए दावा [illegible] आरिज है। वादी ने तहसीलदार करौली से मिलकर रैफरेन्स कराये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय से खारिज फरमाया गया। मस्जिद न तो माईनर है न परीपीच्यूल माईनर है न उसकी खुद को वहैसियत काश्तकार काश्त

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

करते थे उनके नाम खाता कायम किया गया था वह सही था और भूमि को वय करने का पूर्ण अधिकार था। खसरा नं0 4970 हिण्डौन दरवाजे बाहर मस्जिद के माफी की कभी नही रही बल्कि धम्बल वगैरह की खण्डहरा शक्ल में थी। मद नं0 6 वाद पत्र मुझ प्रतिवादी से संबंधित है जिसको खातेदार धम्बल से खण्डहेरा की शक्ल में थी जिसको प्रतिवादीया ने दिनांक 10.3.64 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा खरीद कर नगरपालिका करौली से दिनांक 3.11.71 एवं 13.2.79 को मंजूरी लेकर मकान निर्माण कराया है और तभी से प्रार्थी को उक्त मकान पर कब्जा है। वाद पत्र मद नं0 9 में मुझ प्रतिवादीया ने निर्माण नगर– पालिका करौली की स्वीकृति दिनांक 3.11.71 व 13.2.79 से किया है निर्माण की स्वीकृति से पूर्व नगरपालिका द्वारा आपत्ति आमंत्रण करने हेतु हर खास व आम को नोटिस जारी किये थे। उस वक्त भी कोई आपत्ति किसी ओर से प्रस्तुत नही हुई। वादी को कोई विनाय मुखासमत खिलाफ प्रतिवादीया पैदा नही होती है। उक्त नम्बर में पूर्व से ही खण्डहरा बना था इसलिए रूपांतरण की कोई आवयश्यकता नही थी फिर भी प्रार्थीया ने रूपांतरण अधिकारी हिण्डौन के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जरिये रसीद संख्या 108/82 एवं 102/82 दिनांक 15.4.82 को जमा करा दी थी। वादी ने रूपांतरण न किय जाने बाबत भूमि रूपातंरण अधिकारी हिण्डौन के समक्ष उजरदारी भी पेश की थी जो खारिज फरमा दी गयी थी ऐस सूरत में आराजी काश्त न होकर आबादी की है जिसके संबंध में दावा वादी बाबत घोषणा चलने योग्य नही हैं। मुझ प्रार्थीया का उक्त खं0नं0 में पक्का मकान तामीर किया हुआ है जिसकी कीमत इस समय तीन लाख रूप्ये की है। आराजी मुतदाविया मस्जिद की नही है न कोई मस्जिद के नाम का पटटा हुआ है न रेवेन्यू रिकार्ड में मस्जिद के नाम कोई इन्द्राज ही है ऐसी सूरत में दावेदार को दावे का हक नही है। [illegible] आराजी मुतदाविया पर बीसीयों कर्ताओं को अच्छी तरह मालूम था परन्तु 12 साल के अन्दर आज तक कोई कार्यवाही नही की ऐसी सूरत में दावा बेरून मियाद है। मस्जिद को दायरी दावा करने का कोई भी अधिकार नही है दावा चलने योग्य नही है। पहले भी इसी आराजी के

Signature Not Verif
Digitally signed by Pre
Date: 2026.05.04 13:06
Reason: SelfAttested

संबंध में दावा उनवानी मस्जिद बनाम जाफरू पेश किया था जिसमें वादीको खातेदार न मानते हुऐ दावा खारिज 13.1.86 को फरमाया गया इसलिए दावा में रेस जूडिीटा आरिज है। वादी ने तहसीलदार साहब करौली से मिलकर रेफरेन्स कराये जाने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो भी श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय से खारिज फरमाया गया। मस्जिद न तो माईनर हे न परपीच्यूल माईनर से न उसकी खुद काश्त की आराजी कभी नही रही बल्कि धम्बल आदि उक्त आराजी को बहैसियत काश्तकार काश्त करते थे उनके नाम खाता कायम किया गया था सही था और भूमि को वय करने का पूर्ण अधिकार था। आराजी खसरा नम्बर 4970/4 हिण्डौन दरवाजे बाहर मस्जिद की माफी की नही है बल्कि धम्बल मुसलमान की खातेदारी में थी। मद नं0 6 का मुझ प्रतिवादी से संबंधित है जिसमें आराजी खसरा नं0 4970/4 को धम्बल खातेदार ने जरिये रजिस्टर्ड वय दिनांक 24.11.66 ....मुझ प्रतिवादी को विकय किया है तथा ग्राम पंचायत बेरून शहर द्वारा दिनांक 26.1.67 को मुझ प्रतिवादी के पक्ष में नामांतरण स्वीकार किया गया है जिनकी फोटोस्टैट कॉपियां अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। मुझ प्रतिवादी नें निर्माण नगरपालिका करौली की स्वीकृति से दिनांक 31–10–73 को किया है निर्माण की स्वीकृति के पूर्व नगरपालिका करौली द्वारा आपत्तियां आमंत्रित करने हेतु नोटिस हर खास आम हो जारी किये गये थे किन्तु उस समय कोई भी आपत्ति किसी भी व्यक्ति की ओर से प्रस्तुत नही हुई नगरपालिका करौली की स्वीकृति की फोटो स्टेट कॉपी संलग्न है। वादी दो मुझ प्रतिवादी के खिलाफ कोई विनाय मुखासमत पैदा नही हुई है और ना वादी को कोई दावा दायर करने का हक है। उक्त आराजी को आजादी में रुपांतरण करने हेतु भूमि रूपांतरण अधिकारी, हिण्डौन के समक्ष मुझ प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था [illegible] अधिकारी ने जांच की थी और उनके आदेश दिनांक 27.10.83 [illegible] आराजीयात नम्बर 4970/4 आबादी में रूपांतरण की गयी थी प्रार्थी ने रूपांतरण शुल्क राज0 कोष में नगरपालिका विकास शुल्क सहित जमा करा दिया, और भूमि रूपांतरण अधिकारी हिण्डौन द्वारा पट्टा भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.04 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दिनांक 3–3–84 को मुझ प्रतिवादी के हक में जारी कर दिा ऐसी सूरत में अब यह आराजी काश्ता ने होकर आबा की है जिसके संबंध में अव दावा यह आराजी काश्ता न होकर आता की है जिसके सबंध में अव दावा बावत घोषणा चलने योग्य नही है। मुझ प्रतिवादी का उक्त ख0 न0 में पक्का मकान तामीर किया गया है जिसकी कीमत इस समय दो लाख रूपये से कम नही है। आराजी मुतदाविया मस्जिद की नही है, न कोई मस्दिज वे नान का पटटा हुआ है न रेवेन्यू रिकार्ड में मस्जिद के नाम कोई इन्द्राज की है ऐसी सूरत में दावेदार को दावे का कोई हक हासिल नही है। धम्बल प्रतिवादी की आराजी मुतदाविया पर बीसों साल से ओपिन व होस्टाईल कब्जा चला आ रहा है जो मस्जिद से प्रबंधकर्ताओं को अच्छी तरह से मालुम है, परन्तु 12 साल के अन्दर आज तक कोई कार्यवाही नही की, ऐसी सूरत में दावा वेरून मियाद है और चलने योग्य नही है। उक्त मस्जिद ना तो पंजीकृत है और ना ही कोई पंजीकरण पेश किया है ना ही वक्फ बोर्ड की ओर से यह दावा लाया गया है। जमीन मुतनाजा से वादी मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है। यह काश्ता जमीन भी नहीं है। ना ही मस्जिद की कभी खुदकाश्त की रही है। ना ही मस्जिद के खाते व कब्जे की है। नक्शा संलग्न वादपत्र गलत है। आराजी मुतनाजा ना तो माफी की थी ना ही माफी दी जा सकती थी। मस्जिद की तरफ से कुएं का कोई निर्माण नहीं कराया गया है। सारे तथ्य झूठे दर्ज किये है। टीनेन्सी एक्ट लागू होने के वक्त व उससे पहले व उसके बाद कभी भी आराजी मुतनाजा पर मस्जिद काबिज नहीं रही है। वादी मस्जिद के कोई हक हकूक इस जमीन में कभी नहीं रहे है। ना ही मस्जिद का कभी कब्जा रहा है। दावा संख्या 140/86 चलना बताया है तो [illegible] करने की आवश्यकता नहीं रहती है। उसी में मुझ खरीददार [illegible] पक्षकार बनाया जा सकता था। वादी एक ही दावे [illegible] प्राप्त कर सकता है। मल्टीप्लेसी ऑफ सूट्स के बिना पर दावा हाजा खारिज होने योग्य है। यह जमीन लबे सडक है और हमेशा आबादी की रही है। जिसमें प्रतिवादी की स्टालें है। जिसमें प्रतिवादी दवाई की दुकार करता है और चारो आबादी हो चुकी है। दिनांक 14.5.94 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:41
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

कहानी गलत दर्ज की गई है। हमारा कब्जा साबित है। हमशे पूर्व जमीन विक्रेताओं को कब्जा था। लेकिन फिर वादी द्वारा चालाकी से अल्टरनेटेड प्ली दावा को म्याद में लेने के लिए की है। दावा म्याद बहार है। मस्जिद पर परपूच्यचल माईनर नहीं है। मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती है। मस्जिद इबादत स्थान मात्र है और वह किसी भी हालत में माईनर नहीं हो सकती है। मस्जिद वक्फ् की भूमि है। मस्जिद की और से लाला टेलर को दावा लाने का अधिकार नहीं है व प्रबंधक कमेटी का मंत्री व प्रबंधक नहीं है। खसरा नंबर 4970/3 में पूर्व में नारायण महाजन करौली की कब्जे काश्त की रही है। दुरबी खातेदार ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान नाना इस जमीन के 1/3 हिस्सा को निर्मल व भरोसी को वय किया है एवं उससे 2/3 हिस्सा को रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 8.9.78 को उर्मिला देवी व विमला देवी को वय किया है और कब्जा आराजी पर सन् 1978 में खरीददारान का कराया है। इस रजिस्टर्ड की रूह से खरीददार के हक में नामांतकरण खुल गया है। उसके बाद 2/3 हिस्सा खरीदादारान द्वारा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 12.7.90 को वय कर कब्जा जमीन पर मुझ प्रतिवादीगण को करा दिया है। तभी से जमीन पर मय बतौर खातेदार काबिज हूं। वादी ने जमीनों की कीमत बढ जाने के कारण तंग व परेशान करने की नियत से वादी ने जमीन अपनी बताते हुए यह दावा पेश किया है। मस्जिद विधिक व्यक्ति नहीं है। जमीन विवादित पर वादी दायरी दावा के अन्दर 12 साल कभी भी काबिज नहीं रहा है। इसलिए यदि कोई हकूक खातेदारी जमीन में वादी के थे भी तो वे एक्सटिंग्यूस हो चुके है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.04 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी व प्रतिवादी का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का वि[illegible] का तनकीवार विवेचन किया जाना उचित है। जो निम्न प्रकार है:–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस संबंध में दस्तावेज दावा पेश करने की इजाजत प्रदर्श–1, नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–2, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 एवं

उपखण्ड [illegible] अधिकारी
करौली [illegible]

नकल मार्क मिसल प्रदर्श–4, स्टेट टाईप की मिसल बदोबस्त प्रदर्श–5, इसका हिन्दी अनुवाद प्रदर्श–6, आदेश समय बढाने बाबत प्रदर्श–7, नक्शा प्रदर्श–8 पेश किये है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा नकल सेटलमेंट खतौनी बदोबस्त संवत 2015 प्रदश ए–22 पेश की है जिसमें भूमि धम्मल पुत्र भोलू जफर, कुल्लड पिसरान कौम मुसलमान सा. देह म0क0 अंकित है। वादी द्वारा जमाबंदी संवत 2010–13 पेश की है। जिसमें भूमि माफी पुन्यार्थ मस्जिद वांके वेरूण हिण्डौन दरवाजा व बकाम पंच विसातियान कौम मुसलमान सा. देह दर्ज है। वादी द्वारा संवत 2012 की कोई खसरा गिरदावरी अपने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत नहीं की है। धम्मल व कुल्लड द्वारा भूमि का बेचान दिनांक 13.3.64 को कटोरी देवी पत्नि मनोहरलाल, दिनांक 24.4.72 को मेघेन्द्रपाल के पिता उमराव पुत्र हजारीपाल एवं दिनांक 16.4.80 को कल्याण पुत्र देवचंद को विक्रय की गई है जिनके बयनामा प्रदर्श ए–4 व ए–20 व ए–18 से विक्रय की गई है एवं जमाबंदी संवत 2076–79 में भूमि कमलादेवी पत्नि रामसिंह एवं मेघेन्द्रपाल पुत्र उमरावसिंह, भगवत प्रसाद पुत्र किशोरराम, अब्दुल कलाम जाहिद अहमद पिसरान कयूम खां, फारूक अहमद पुत्र करीम खां, कयूयम खां पुत्र अहमद खां एवं भौरूसिंह, विजयसिंह, कोकसिंह पुत्रान बहादुर सिंह एवं निर्मल कुमार पुत्र हरिचरण राधेश्याम पुत्र मोतीलाल भौरूलाल पुत्र शिवलाल, हरहेतलाल पुत्र शिवलाल की खातेदारी में दर्ज है एवं मस्जिद खसरा नंबर 4966 होना प्रदर्श–ए–21 पटवारी हल्का करौली से प्रकट होती है। भूमि संवत 2012 में मस्जिद वादी की खुदकाश्त की नहीं रही है। वादी ने वादपत्र में भूमि वादग्रस्त खसरा नंबर 4970 को वक्फ भूमि होना माना है एवं वादी पीडब्लयू–1 महमूद अहमद एवं पीडब्ल्यू–2 अब्दुल हलीम ने भी भूमि वक्फ भूमि होना कथन किया है। वादी भूमि को खुदकाश्त की साबित करने के संबंध में कोई साक्ष्य दस्तावेजी पत्रावली में पेश नहीं किया [illegible] माफी सन् 1952 में तथा 1963 में जब्त होने के बाद [illegible] खुदकाश्त नहीं रही है। बल्कि धम्मल पुत्र भोलू व जफरू, कुल्लड की खातेदारी व कब्जे की रही है। वादग्रस्त भूमि में मानियात व दुकानात निर्माण धम्मल जफरू के विक्रय बाद प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण की गई है। इस प्रकार वादी भूमि खसरा नंबर 4970 जिसके मिन नंबर 4970/1,

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:41
Reason: SelfAttested

4970/2, 4970/3, 4970/4, 4970/5 को अपनी खुदकाश्त खातेदारी की साबित करने मे असफल रहा है। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने भार भी वादी पर है। इस विवाद्यक के संबंध में वादी द्वारा नकल जमाबंदी संवत 2010–13 प्रदर्श–3 पेश की है। जिसके खण्डन में प्रतिवादीगण द्वारा जमाबंदी संबत 2015 प्रदर्श ए–22 एवं जमाबंदी संवत 2076–79 प्रदर्श–23 पेश की है। जिनमें भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में अंकित है। वादी द्वारा यह वाद सन् 1980 में प्रस्तुत किया गया है। जबकि प्रतिवादीगण के निर्माण उनके द्वारा खरीद की गई भूमि पर खरीद दिवस से है। इस तथ्य को गवाहान पीडब्ल्यू–1 महमूद अहमद एवं पीडब्ल्यू–2 अब्दुल हलीम ने अपने बयान में जिरह में स्वीकार किया है कि माफी सन् 1963 में खत्म होना सही दर्ज किया है। सन् 1963 का संवत क्या है मेरी जानकारी में नही है। संवत 2015 से पूर्व भूमि वादग्रस्त धम्मल पुत्र भौलु व जफरू, जंगी, कुल्लड के उपकृषक के रूप में दर्ज रही है। जिससे भूमि वादी की खुदकाश्त भूमि नहीं होने से वादी की माफी जब्त हो जाने से धम्मल वगै० के हक मे संवत 2012 से कब्जाकश्त होने से संवत 2015 में विधिवत खातेदारी इन्द्राज हुए है। अतः विवाद्यक संख्या 2 वादी विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार भी वादी पर है। वादी ने वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नंबर 4970 के मिन नंबर 4970/1, 4970/2, 4970/3, 4970/4, 4970/5 को वादी के बिना सुने राजस्व रिकॉर्ड में विभक्त करने का कथन किया है। परन्तु इस संबंध में वादी द्वारा कोई दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं [illegible] जिससे स्पष्ट होता हो कि यह मिन नंबर किस [illegible] विभक्त किये गये है। बल्कि उक्त नंबर खातेदारान धम्मल द्वारा भूमि प्रतिवादीगण को विक्रय करने पर बयनामा के आधार पर विभक्त किये गये हैं। जो पत्रावली में प्रस्तुत बयनामाओं से स्पष्ट होता है। अतः विवाद्यक

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 3 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष मे तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 4 को साबित करने का भार भी वादी पर है। भूमि पर निर्माण दायरी दावे से पूर्व होना वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य से स्पष्ट होता है एवं निर्माण भूमि में होना बादी पीडब्ल्यू–1 महमूद अहमद ने अपनी जिरह में बताया है कि किन लोगों ने 20 साल से पहले कितने साल पहले कब्जा किया है। मै नहीं बता सकता। विवादित जमीन में आबादी हो चुकी है। मकानियत बन चुकी है। जो गैर कानूनी तरीके से है। दावे से पहले ही मकानियत बन चुकी थी। इस प्रकार भूमि पर प्रतिवादीगण का कब्जा व रिहायश होना वादी का स्वीकृत है। इस प्रकार वादी भूमि पर अपना कब्जा साबित करने में असफल रहा है और भूमि पर कब्जा होने से वादी प्रतिवादीगण के विरूद्व किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा पाने का हकदार नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 4 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस संबंध में बयनामा प्रदर्श ए–4 व ए–20 व ए–18 पेश किये है। जो दायरी दावे से पूर्व के है एवं निर्माण स्वीकृति नगरपालिका एवं पट्टे भी पत्रावली में प्रदर्श ए–13, ए–14, ए–15 पेश किये है। जिनसे निर्माण दायरी दावे से पूर्व होना प्रकट होता है। वादी द्वारा यह वाद 12 वर्ष से अधिक की देरी से पेश किया गया है। वादी भूमि पर दखल प्राप्त करने का अधिकार कानूनन समाप्त कर चुका है। दावा वादी इस हद तक म्याद बहार है। अतः विवाद्यक संख्या 5 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरूद्व तय कर निर्णित किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Ra
Date: 2026.05.04 13:06:41
Reason: SelfAttested

विवाद्यक संख्या 6 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में न्यायलय एडीएम करौली के निर्णय दिनांक 22.10.1984 के निर्णय की फोटोप्रति पेश की गई है। जिनमें रेफरेंस की कार्यवाही धारा 82 एलआर एक्ट कार्यवाही निरस्त की गई है। परन्तु इनकी कोई प्रमाणित प्रति पत्रावली में पेश नहीं की गई है। अतः विवाद्यक

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

संख्या 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 7 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण ने इस संबंध में नगरपालिका की निर्माण स्वीकृति प्रस्तुत की है एवं वादी पीडब्ल्यू–1 व पीडब्ल्यू–2 द्वारा भूमि में आबादी निर्माण होकर बन जाना स्वीकार किया है। जिसका कोई खण्डन वादी द्वारा पत्रावली में पेश नहीं किया गया है। आबादी भूमि होना एवं वक्फ संपत्ति होना वादी का स्वीकृत होने से न्यायालय हाजा को यह वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं रहता है। अतः विवाद्यक संख्या 7 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 8 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन किया गया है कि भूमि वक्फ संपत्ति है। जिसके संबंध में वादी को न्यायालय हाजा में वाद दायर करने का अधिकार नहीं है। वक्फ समिति द्वारा वक्फ बोर्ड के समक्ष ही वक्फ संपत्ति की कार्यवाही की जा सकती है। अतः विवाद्यक संख्या 8 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 9 को साबित करने भार भी प्रतिवादीगण पर है। इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा भूमि के आबादी पट्टे व निर्माण स्वीकृति प्रस्तुत की गई है एवं वादग्रस्त भूमि में मानियात तामीर होना (निर्माण होना) वादी व प्रतिवादीगण का प्रस्तुत साक्ष्य में स्वीकृत है। इस बिना पर भी दावा वादी ?न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं है। अतः विवाद्यक संख्या 9 प्रतिवादीगण के पक्ष में वादी के विरूद्ध तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 10 दादरसी है। [illegible] के विवेचन से वादग्रस्त भूमि वादी की खुदकाश्त भूमि होना [illegible] अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं किया है एवं भूमि [illegible] संपत्ति होने से एवं भूमि में मकानियत निर्माण होकर आबादी बस चुकी है। दावा मस्जिद विसातियान की ओर से विसातियान बिरादरी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादीगण विसातियान समाज के सदस्य नहीं है। वादीगण को दावा पेश करने का हक नहीं है। संवत 2010–13 की खसरा

अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.04 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

गिरदावरी वादीगण द्वारा पत्रावली में पेश नहीं की है। वादी मस्जिद पंच विसातियान की भूमि खुदकाश्त नहीं होना जमाबंदी संवत 2010–13 एवं जमीन संवत 2015 से प्रकट होती है। धम्मल एवं कुल्लड, जफरू, भोलू, जंगी भूमि के कृषक रहे है जिसका गिरदावरी संवत 2014–17 में अंकन है। वादीगण को वादकारण संवत 2015 में उत्पन्न हो गया था जिसका सन् 1958 होता है। वादीगण द्वारा वादी सन् 1979 में प्रस्तुत किया गया है जो 20 साल की अवधि के बाद पेश किया गया है। जिससे वाद वादीगण म्याद बहार होना साबित होना साबित होता है। मस्जिद न्यायिक वैधानिक व्यक्ति नहीं है। मस्जिद की ओर से प्रस्तुत वाद इस आधार पर भी चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है। मस्जिद इबादत का स्थान होता है। मस्जिद देवता नहीं होती है। मस्जिद शाश्वत नाबालिग भी नहीं होती है। मस्जिद को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। संपत्ति पर मस्जिद का कब्जा नहीं है। मस्जिद एक भवन होता है और इबादत करने का स्थान होता है। बयनामा रजिस्टर्ड है जिनको निरस्त किये जाने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। मस्जिद खसरा नंबर 6970 में ना होकर खसरा नंबर 4966 में है। बयनामाओं के 12 साल बाद वादीगण द्वारा वाद पेश किया गया है। पीडब्ल्यू–1 महमूद का बयान दावे में पढे जाने योग्य नहीं है उसका बयान दिनांक 3.8.2009 को रिजर्व रखा गया है। उसके बाद न्यायालय में वह जिरह को उपस्थित नहीं आया है। इसलिए उसका बयान निर्णय में विधि अनुसार विवेचित नहीं किया जा सकता है। भूमि में मकानात दुकानात बनी हुई है। धम्मल व कुल्लड का मस्जिद का नौकर होने का कोई रिकॉर्ड वादीगण ने दावे में पेश नहीं किया है। वक्फ संपत्ति के संबंध में म्याद अधिनियम लागू होता है। इस प्रकार दावा वादीगण क्षेत्राधिकार विहीन होने एवं म्याद बहार होने से एवं भूमि वादग्रस्त वादीगण मस्जिद विसातियान की खुदकाश्त भूमि नहीं होने वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई घोषणा खातेदारी एवं दखल प्राप्त करने के हकदार नहीं है। दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30/11/26 को खुले न्याया[illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Me
Date: 2026.05.04 13:06:41 IST
Reason: SelfAttested

(प्रेमराज मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)